इरकॉन

37वीं वार्षिक रिपोर्ट
2012-2013

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

विज़न

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

(क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

(ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएँ प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	3
विगत पांच वर्षों के दौरान कार्य का निष्पादन	4
अध्यक्ष का संबोधन	5
निदेशकों की रिपोर्ट	7
सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट	22
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	24
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	29
पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र	44
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	46
वार्षिक लेखा 2012-13	
तुलन पत्र	48
लाभ और हानि का विवरण	49
रोकड़ प्रवाह विवरण	50
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नोट सं 1)	51
प्रकटनों सहित लेखों पर टिप्पणियां (नोट सं 2 से 48)	56
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	89
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	96
समेकित वित्तीय विवरण	
समेकित तुलन पत्र	98
समेकित लाभ और हानि विवरण	99
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण	100
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (समेकित) नोट सं 1	101
प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां (समेकित) नोट सं 2 से 49	106
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	139

पंजीकृत कार्यालय
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,साकेत,
नई दिल्ली-110017

कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)
ललिता गुप्ता

मुख्य बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स वाही एंड गुप्ता,
सनदी लेखाकार,
होटल रैक्स बिल्डिंग (ओ.बी.सी. बिल्डिंग)
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

साकेत, नई दिल्ली स्थित इरकॉन का कार्पोरेट कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मोहन तिवारी

अन्य पूर्णकालीन निदेशक

हितेश खन्ना
निदेशक कार्य

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

अंजुम परवेज़

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. जी.वी.राव

प्रो. (डा.) एस.एस.चटर्जी

बी.एम. शर्मा

विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्य का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

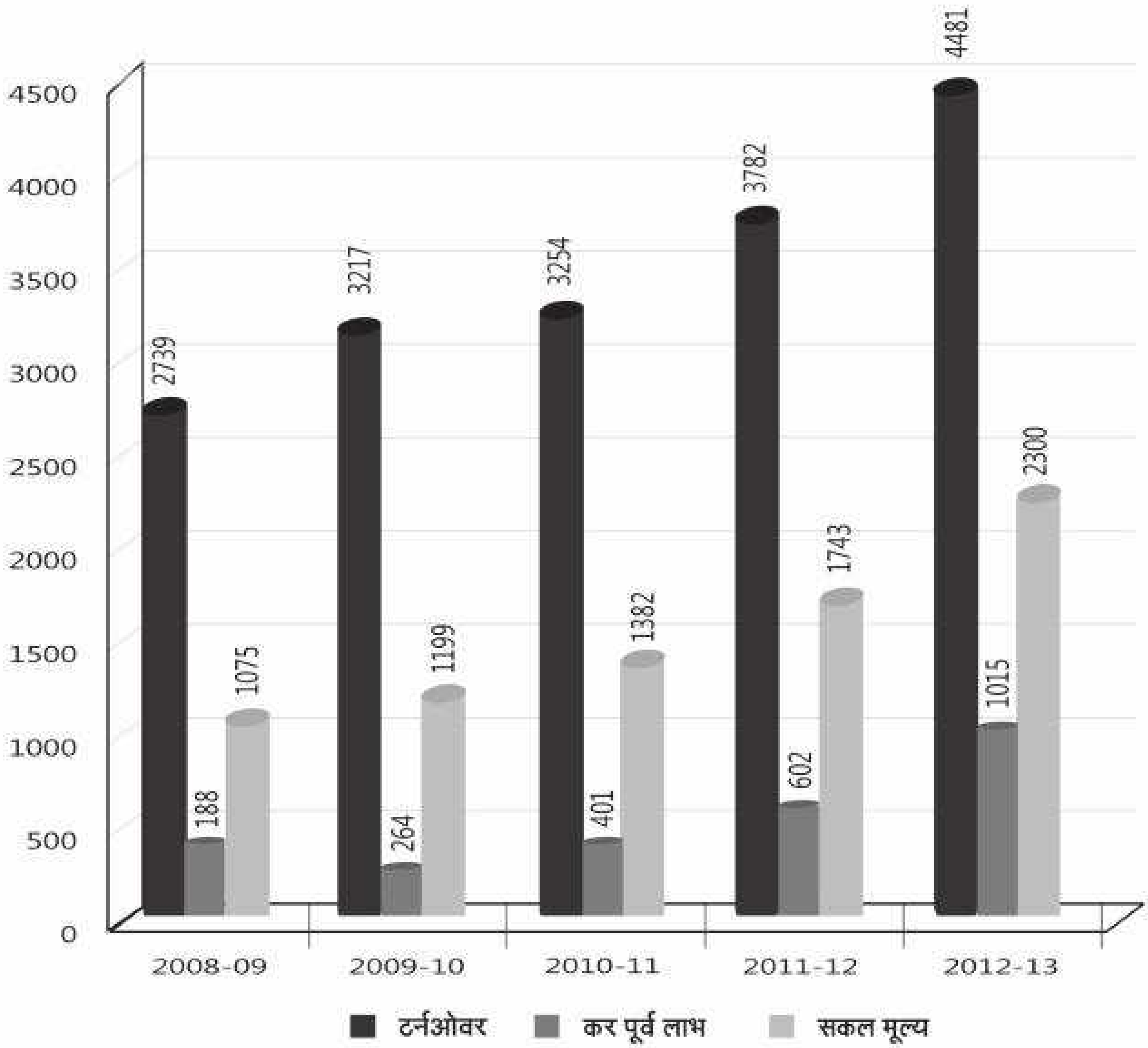

शुद्ध विदेशी मुद्रा आय

(₹ करोड़ में)

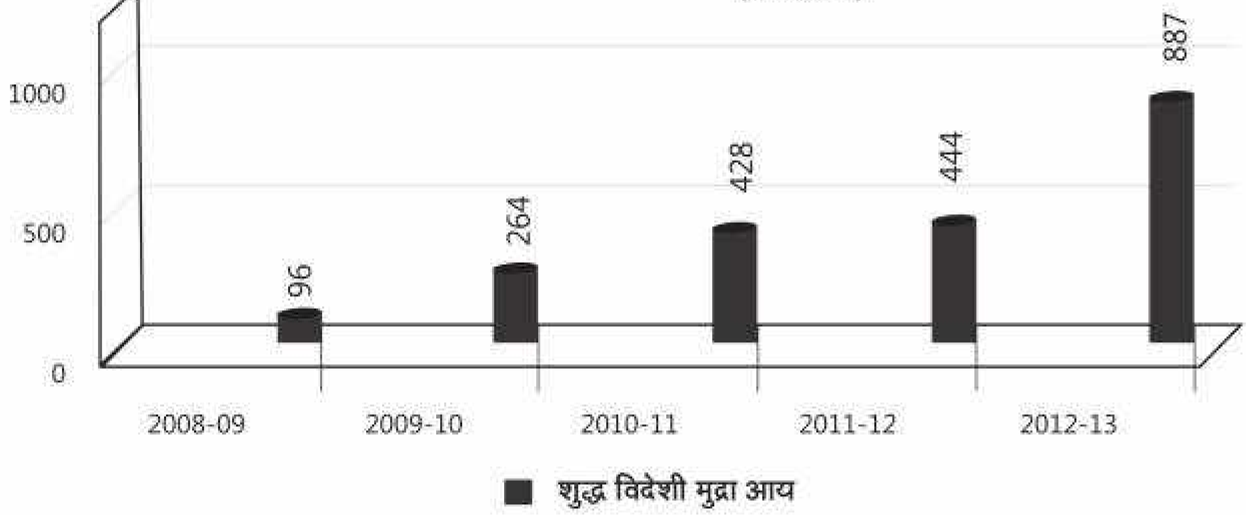

अध्यक्ष का सम्बोधन

गणमान्य शेयरधारकगण,

इरकॉन के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी की आपकी कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान दो प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया है अर्थात कंपनी का टर्नओवर 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और कर पूर्व लाभ भी 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

इस वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा रिपोर्टें पहले ही आप को परिपत्रित की गई हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं यह मान लेता हूं कि आपने इन्हें पढ़ लिया है। अब मैं आपके समक्ष वर्ष के दौरान इरकॉन के कार्यनिष्पादन के प्रमुख पहलुओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

कार्यनिष्पादन विशेषताएं

आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को पार करते हुए 14232 करोड़ रुपए की अब तक की सर्वाधिक प्रचालनिक आय को प्राप्त किया है। यह वर्ष 2011-12 में अर्जित 3601 करोड़ रुपए से 17.5% अधिक है। वर्ष के दौरान 1015 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ भी अब तक का सर्वाधिक है तथा वर्ष 2011-12 में प्राप्त 602 करोड़ रुपए से 69% अधिक है। कर पश्चात लाभ में भी 55% की वृद्धि हुई है जो 470 करोड़ रुपए से बढ़कर 730 करोड़ रुपए हो गया है, जोकि अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में संवर्धित मार्जिन के कारण हुआ है। शुद्धि विदेशी विनिमय आमदनी भी लगभग दुगुनी हो गई है जो वर्ष 2011-12 के दौरान 444 करोड़ रुपए से बढ़ कर 887 करोड़ रुपए हो गई है।

लाभांश

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए जिसके फलस्वरूप प्रदत्त शेयर पूंजी 9.898 करोड़ रुपए से बढ़कर 19.796 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने फरवरी 2013 में संवर्धित पूंजी पर 250% की दर से 49.49 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने संवर्धित शेयर पूंजी पर 500% की दर से 98.98 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी घोषणा इस वार्षिक आम बैठक में किएये जाने के पश्चात घोषित किया जाएगा तो वर्ष 2012-13 के लिए कुल लाभांश 148.47 करोड़ रुपए हो जाएगा।

आपको यह जानकर हर्ष की अनुभूति होगी कि वर्ष 1976-1985 के दौरान कंपनी के आरंभिक वर्षों में सरकार द्वारा मात्र 5 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के प्रति आपकी कंपनी ने सरकार को वर्ष 2012-13 तक 573.47 करोड़ रुपए के कुल लाभांश का भुगतान कर दिया है।

विगत वर्षों के दौरान विकास

मेकग्रो-हिल कंस्ट्रक्शन(फाइनान्शियल), यू.एस.ए. द्वारा प्रकाशित इंजीनियरिंग न्यूज रिकार्ड (ईएनआर) के अनुसार इरकॉन वर्ष 2009-10 से निरंतर शीर्ष 225 अंतर्राष्ट्रीय कांट्रैक्टरों की सूची में बना हुआ है। इनके अगस्त 2013 के संस्करण के अनुसार इरकॉन उन चार भारतीय कंपनियों में से एक है जिसने वर्ष 2013 के लिए शीर्ष 250 अंतरराष्ट्रीय कांट्रैक्टरों की सूची में अपना नाम स्थापित कर पाने में सफलता पायी है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, कंपनी में अद्वितीय विकास हुआ है और उसने टर्नओवर की दृष्टि से 16.44% की संचयी विकास दर को प्राप्त किया है और कर पूर्व लाभ की दृष्टि से 44.61% की विकास दर प्राप्त की है। तथापि, हमें अपनी कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए आर्डर बुक में और

संवर्धन करने की आवश्यकता है, विशेष रुप से भारत के समक्ष गंभीर वित्तीय परिदृश्य, और चुनौतियों व अनिश्चितताओं वाले वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए।

परियोजना निष्पादन

मलेशिया और श्रीलंका में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करना आपकी कंपनी के लिए गर्व के क्षण हैं। मलेशिया में 1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सेरेम्बन-गेमास दोहरीकरण रेलतथ परियोजना व्यापक स्तर पर पूरी हो गई है। यह विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी की गई अब तक की सबसे बड़ी परिवहन परियोजना है। श्रीलंका में कोलंबो-मटारा तटीय रेलवे लाईन के स्तरोन्नय का कार्य तथा मेदवछिया से मधु रोड रेलवे लाइन की बहाली का कार्य पूरा हो गया है।

इरकॉन के लिए वह गौरवपूर्ण क्षण था जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भारत सरकार के शिष्टमंडल तथा इरकॉन के अधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक 26 जून 2013 को पीर पंजाल सुरंग के रास्ते बनिहाल से काज़ीगुंड तक प्रथम डीईएमयू रेलगाड़ी को झण्डी दिखा कर रवाना किया। यह भारत की सबसे बड़ी परिवहन सुरंग है। इस रेलवे लाइन का निर्माण इरकॉन द्वारा किया गया है जो कश्मीर को जम्मू और शेष राष्ट्र से जोड़ती है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान आर.वी.एन.एल. के लिए अलीगढ़-गाजियाबाद रेल परियोजना, लखनऊ-मुगलसराय रेल विद्युतीकरण परियोजना, तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए तीन राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा किया है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिरत परियोजनाएं हैं - जम्मू और कश्मीर में नई बीजी रेल लाइन का निर्माण (धरम-काज़ीगुंड, रायबरेली रेल डिब्बा कारखाना परियोजना, शिवोक-रंगपो नई रेलवे लाइन परियोजना, पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क परियोजना, राजस्थान और बिहार में सड़क उपरिपुल का निर्माण, बिहार और झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजनाओं का क्रियान्वयन, और नेपाल में रेल संपर्क के लिए दो परियोजनाएं।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के माध्यम से रेल अवसंरचना

आपकी कंपनी अपनी दो सहायक कंपनियों यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल - इरकॉन की 100% सहायक कंपनी) तथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी- इरकॉन की 51% सहित आरएलडीए सहित एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से रेल अवसंरचना के क्षेत्र में भी योगदान कर रही है।

इरकॉन को चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), और बिजवासन तथा आनन्द विहार (नई दिल्ली)के पांच स्टेशनों पर उनके विकास तथा पुन:विकास का कार्य सौंपा गया है।

आपकी कंपनी मार्च 2013 में सृजित दो संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) - छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीआईआरएल) तथा छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता रेल कॉरिडार के विकास के कार्य में सक्रीय रुप से शामिल होगी।इन दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों में इरकॉन की 26% की इक्विटी भागीदारी है।

शासन तथा धारणीयता

सीएसआर एवं धारणीय विकास: आपकी कंपनी ने सीएसआर तथा धारणीय परियोजनाओं के तहत अपने परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में लगभग 10.7 करोड़ रुपए का खर्च किया है।

अनुसंधान एवं विकास: कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है। जम्मू और कश्मीर परियोजना के पीर पंजाल सुरंग कार्य में सुरंग संवातन एप्लिकेशन में पहली बार ऊर्जा आपूर्ति को नियंत्रित करने और विद्युत उपकरण की सुरक्षा की मॉनीटरिंग के लिए 11 किवा प्रणाली हेतु पर्यवेक्षण नियंत्रण और डॉटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

ओएचएसएएस: आपकी कंपनी जो पहले से गुणवत्ता (आईएसओ 9001:2008) और पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ: 2004) से प्रमाणित है, को वर्ष के दौरान व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस 18001:2007) से भी प्रमाणित किया गया है।

निगमित शासन: आपकी कंपनी निगमित शासन के संबंध में विधिक अपेक्षाओं और सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। बेहतर पारदर्शिता का लाभ उठाने के लिए और प्रापण निविदाओं के एकीकृत संधि को स्वीकार करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से अपने सभी ग्राहकों, रेलवे बोर्ड और अन्य मंत्रालयों, बैंकरों, तथा सभी स्टेकधारकों का उनके मूल्यवान सुझावों, सहयोग तथा समन्वय, जिसकी हमें सदैव आवश्यकता है, के लिए हार्दिक आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं।

मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग और कर्मचारियों की समर्पण भावना और सक्षमता से आपकी कंपनी आगामी वर्षों में प्रगति के अनेक अन्य धारणीय कीर्तिमान स्थापित करेगी।

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2013

निदेशकों की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

कम्पनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2012-13 की कम्पनी की 37वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने 4232 करोड़ रुपए की अब तक की अपनी अधिकतम प्रचालनिक आय प्राप्त की है जो वर्ष 2011-12 में प्राप्त प्रचालनिक आय से लगभग 18% अधिक है जिसमें से 47% विदेशी परियोजनाओं से है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी में फिर से (पिछले वर्ष की भांति) लाभप्रदत्ता में व्यापक वृद्धि हुई है जिसके अंतर्गत कर पूर्व लाभ में 69% से अधिक की वृद्धि हुई जो वर्ष 2011-12 में 602 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1015 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के 50% की तुलना में) हो गया है। अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में संवर्धित मार्जिन के कारण, कर पश्चात लाभ में 55% की वृद्धि हुई है जो 2011-12 में 470 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 में 730 करोड़ रुपए हो गया है।

आपकी कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौते ज्ञापन के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी 'उत्कृष्ट' समझौता ज्ञापन रेटिंग बनाए हुए है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

(क) वित्तीय निष्पादन संकेतन

(₹ करोड़ में)

		2102-13	2011-12	% वृद्धि
1.	कुल आय/सकल बिक्री	**4481**	3782	18
2.	कुल प्रचालन आय*	**4232**	3601	18
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**1975**	1850	7
4.	कर पूर्व लाभ	**1015**	602	69
5.	कर पश्चात लाभ	**730**	470	55
6.	सकल उपांत	**857**	670	28
7.	निवल सम्पत्ति	**2300**	1743	32
8.	प्रति शेयर आमदनी (रुपए में)	**505.72***	474.76	7
9.	कुल विदेशी विनिमय आमदनी	**1997**	1862	7
10.	विदेशी विनियम निर्गम	**1110**	1418	(22)
11.	निवल विदेशी विनियम आमदनी	**887**	444	100
12.	लाभांश	**148.47**	94.03	58

** 2012-13 के दौरान जारी 1:1 के बोनस के पश्चात उच्चतर इक्विटी के औसत पर।*

विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 में 444 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 887 करोड़ रुपए हो गई है और ऐसा भारतीय रुपए में उच्चतर व्यय और विदेशी मुद्रा में अर्जित राजस्व तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में संवर्धित मार्जिन के कराण हुआ है, जबकि पिछले एक वर्ष में विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

शेयर पूंजी में वृद्धि के पश्चात लाभांश

आपकी कंपनी ने 25 सितंबर 2012 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अपने मुक्त आरक्षित निधियों में से मौजूदा शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात (यथा प्रति 10 रुपए के 98,98,000/- इक्विटी शेयर) में बोनस शेयर जारी किए थे। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 15 अक्टूबर 2012 को 9.898 करोड़ रुपए से बढ़कर 17.796 करोड़ रुपए हो गई है।

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए फरवरी, 2013 में 19.796 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 25 रुपए प्रति शेयर की दर से यथा 250%, 49.49 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को जनवरी, 2013 में किया गया। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के विचारार्थ 50 रुपए प्रति शेयर की दर से 98.98 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 500% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, 2012-13 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 75 रुपए की दर से 148.47 करोड़ रुपए हो गया है जो 94.03 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 20.34% है जो पिछले वर्ष के दौरान 95 रुपए प्रति शेयर की दर पर था। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2012-13 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 575.01 करोड़ रुपए हो गया है।

विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
1	अंतरिम लाभांश	**49.49**	29.69
2	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**98.98**	64.34
3	अंतरिम लाभांश पर कर	**8.03**	4.82
4	प्रस्तावित अंतरिम लाभांश पर कर	**16.06**	10.44
5	सीएसआर गतिविधियां आरक्षित निधि से अंतरण	**2.90**	-
6	सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	**554.53**	360.63

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2012-13 के दौरान 4235.92 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं। 31.03.2013 को कार्य का भार लगभग 12613 करोड़ रुपए है।

सहायक कंपनी की वित्तीय स्थिति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के वार्षिक लेखों सहित वित्त वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षित समेकिम वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें सहायक कंपनी, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) तथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) की वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 8 फरवरी 2011 के सामान्य परिपत्र सं. 2/2011 के संदर्भ में निदेशक मंडल की सहमति के आधार पर सहायक कंपनी के लाभ व हानि विवरण तथा रिपोर्ट सहित पृथक तुलन पत्र को इरकॉन की वार्षिक रिपोर्ट का भाग नही बनाया गया है। इसके स्थान पर, लाभ व हानि विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित समेकित तुलन पत्र वाले समेकित वित्तीय विवरणों के एक सेट को आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रुप में शामिल किया गया है। सहायक कंपनी की प्रमुख वित्तीय स्थितियों का सार नोट सं 36(ग) में शामिल किया गया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का भाग है। निगमित कार्य मंत्रालय के उक्त परिपत्र के अनुसार, आपकी कंपनी या सहायक कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर आपकी कंपनी इरकॉन आईएसएल के तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ये अभिलेख कंपनी की वेबसाईट (www.ircon.org) पर उपलब्ध हैं तथा किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए कंपनी तथा सहायक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं

श्रीलंका

1. भारतीय ऋण से वित्तपोषित 373.46 करोड़ रुपए (78 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य की कोलम्बो-मतारा तटीय रेलवे लाइन के स्तरोन्नयन की सम्पूर्ण परियोजना का कार्य समय से पूर्व पूरा हो गया है।

   इस परियोजना के चरण 1 (गल्ले-मतारा खंड) को 16 फरवरी 2011 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया था; चरण दो के एक खंड (कलुतारा-गल्ले) को 19 जनवरी 2012 को यातायात के लिए खोल दिया गया था और चरण-2 शेष खंड (हिक्कादुआ-कलुतारा) को 19 अप्रैल 2012 को यातायात के लिए खोल दिया गया था।

2. 442.46 करोड़ रुपए (81.31 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मेदवछिया से मधु रोड़ रेलवे लाईन की बहाली के लिए रेलपथ निर्माण का कार्य 31 मार्च 2013 को समाप्त कर लिया गया था। इस खंड के लिए परीक्षण रन 23 अप्रैल

उत्तरी श्रीलंका के मेदावछिया से मधु रोड तक रेलवे लाइन का प्रचालन

2013 को की गई थी और 19 मई 2013 को इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

इथोपिया

3. आपकी कंपनी ने 66.5 करोड़ रुपए के मूल्य पर इथोपियन विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) के लिए उप-स्टेशन हेतु उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण व उनका प्रचालन आरंभ करने की परियोजना वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात 30 अप्रैल 2013 को पूरी कर ली है।

अफगानिस्तान

4. आपकी कंपनी ने 30 अप्रैल, 2013 को 49 करोड़ रुपए के मूल्य पर अफगानिस्तान में मौजूदा मजार-ए-शरीफ उपस्टेशन पर 220/20 कि.वा. के नए ऐबैक उपस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापन तथा बे विस्तार का कार्य पूरा कर लिया है।

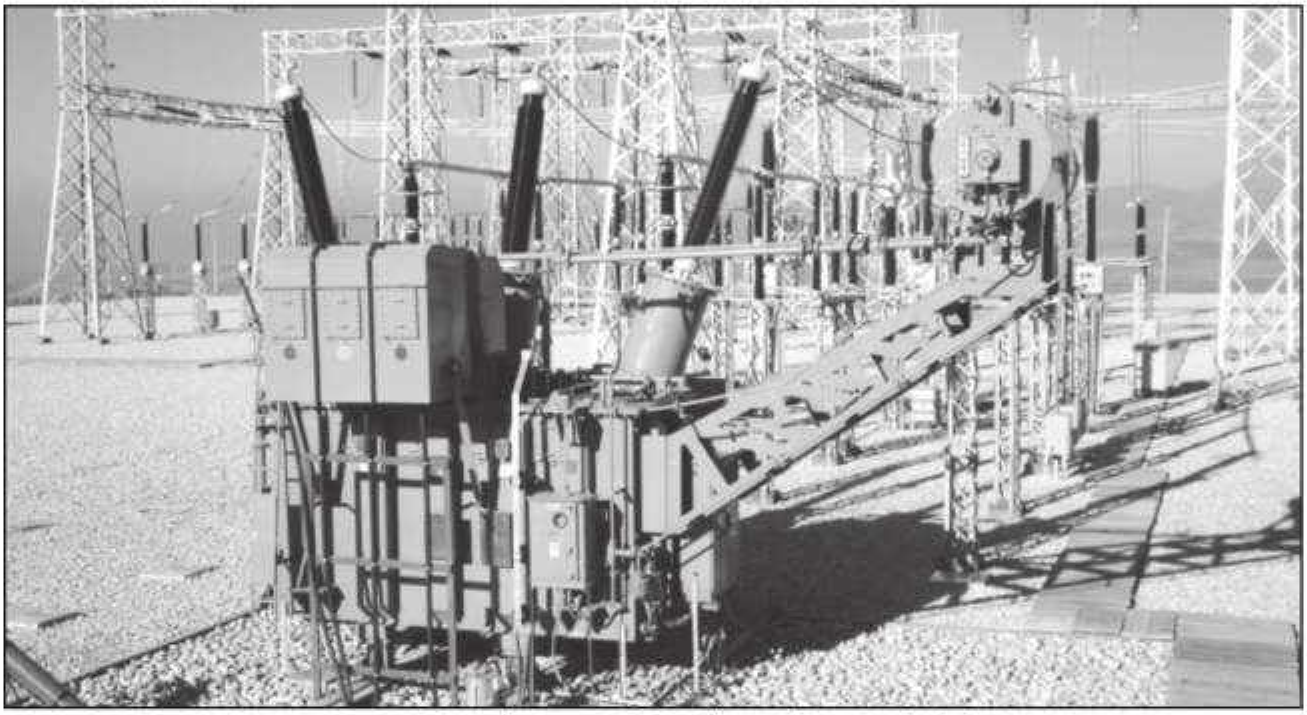

अयबक सब स्टेशन, अफगानिस्तान में 16 एम वी ए पावर ट्रांसफोर्मर

ख. चालू विदेशी परियोजनाए :

सात परियोजनाएं प्रगति पर हैं - मलेशिया में दो, श्रीलंका में चार, तथा अल्जीरिया में एक परियोजनाएं।

मलेशिया

मलेशिया स्थित गेमास रेलवे स्टेशन का रात्रि का दृश्य

1. एमवाईआर 3366 मिलियम मूल्य पर परिवहन मंत्रालय, मलेशिया सरकार के लिए किए जाने वाले मलेशिया में दोहरी रेलपथ परियोजना (सभी विद्युतीकरण, संकेत और संचार कार्यों सहित अभिकल्प और निर्माण आधार पर सेरेबन से गेमास के बीच लगभग 98 किमी लंबी)कार्य की समग्र भौतिक प्रगति 31 मार्च 2013 को 96.8% है। इसके अतिरिक्त, 3 ब्लॉक खंडों यथा सेरेंबन-सुरगई गादुत-रेंबाउ तंपिन को स्वचालित टर्न दोहरी लाईन खंडों के रुप में प्रचालित कर दिया गया था और शेष खंड में रेलपथ निर्माण कार्य व्यापक स्तर पर पूरा हो गया है(गेमास यार्ड में डीपो लाईन को छोड़ कर)। इस कार्य को जुलाई 2013 तक पूरी होने की संभावना है। यह निर्माण कार्य विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा एकल संविदा के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी परिवहन परियोजना है।
2. आपकी कंपनी लगभग 6.78 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक मूल्य के लिए पट्टा और अनुरक्षण संविदा के अनुसार मलेशियन रेल प्रणाली (केटीएमबी) पर 25 मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन को जारी रखे हुए है, जिसके ठेके को 31 दिसंबर 2013 तक बढ़ा दिया गया है।

श्रीलंका

3. 2013-14 के दौरान श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण की निम्नलिखित दो परियोजनाओं को पूरा किए जानी की संभावना है:
   - (i) ओमनथाई से पल्लई (815 करोड़ रुपए अर्थात 185.36 मिलियन अमरीकी डालर); ओमनथाई से मनकुलम तक लाइन के प्रथम खंड (30 किमी) के कार्य को सितंबर 2013 तक पूरा होने की संभावना है।
   - (ii) मधु रोड से तलई मन्नार (659 करोड़ रुपए अर्थात 149.74 मिलियन अमरीकी डालर)।
4. श्रीलंका में अन्य दो चालू परियोजनाएं हैं:
   - (i) 747 करोड़ रुपए अर्थात 149.37 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में पल्लई से कन्केसनथुरई के बीच रेल लाइन का पुनर्निमार्ण। जून 2014 तक इस कार्य के पूरा होने की संभावना है।
   - (ii) 392 करोड़ रुपए (86.51 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य) पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क के लिए अभिकलप, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा संकेत व दूरसंचार प्रणाली को आरंभ करना, जिसकी कार्य समाप्ति सीमा जून 2015 है।

अल्जीरिया

5. 1103 करोड़ रुपए (230 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर अल्जीरिया सरकार से ओयडस्ले तथा यल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य जिसमें अल्जीर-ओमन खंड पर आयडस्ले से यल्लेल तक दूसरी लाइन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है। इस कार्य को दिसंबर 2014 तक पूरा होने की संभावना है। दोहरी लाइन के युक्तिकरण के लिए अतिरिक्त कार्य सहित संविदा का मूल्य संशोधित करके 1692 करोड़ रुपए (353 मिलियन अमरीकी डालर) कर दिया गया है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

बांग्लादेश और म्यानमार में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं ।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान भारत में छह परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) रोड बेड, पुलों, सुविधाओं के निर्माण, रेलपथ और विद्युतीकरण संस्थापन (आरवीएनएल के लिए एजीआरपी परियोजना) सहित उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के **अलीगढ-गाजियाबाद खंड (106 किमी) की तीसरी लाइन का प्रावधान।**

(ii) केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (सीओआरई) के लिए **लखनऊ-मुगलसराय रेल विद्युतीकरण परियोजना।**

(iii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के **सिलिगुड़ी-इस्लामपुर को चार लेन करना।**

(iv) भा.रा.रा.प्रा के लिए नई मंगलोर पोर्ट के लिए पर्याप्त पोर्ट सड़क संपर्कता का विकास।

लखनऊ-मुगलसराय रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत बना एक उप स्टेशन

(v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के लिए सेलेसिह, एजवाल, मिजोरम में पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा कॉलेज का निर्माण।

(vi) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए रा.रा-25, अप--5 के पुनर्वासन का स्तरोन्नयन।

भारत के प्रधानमंत्री एवं यूपीए अध्यक्षा द्वारा बनिहाल काजीगुंड रेलवे परियोजना राष्ट्र को समर्पित ।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कश्मीर और जम्मू क्षेत्र व देश के शेष भाग को जोड़ने वाले बनिहाल से काजीगुंड तक नवनिर्मित पीर पंजाल सुरंग और रेलवे लाइन को 26 जून 2013 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। **पीर पंजाल सुरंग -** भारत में सबसे लंबी परिवहन सुरंग के रास्ते बनिहाल से पहली डीईएमयू रेलगाड़ी को भारत सरकार के गणमान्य तथा इरकॉन के अधिकारों की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

ङ भारत में नई परियोजनाएं :

वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत में अतिरिक्त निर्माण कार्यों सहित निम्नलिखित नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं।

क) 198.65 करोड़ रुपए मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाची में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेसवे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।

ख) 192.44 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालिमार में कोच टर्मिनल का विकास।

ग) 234.95 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।

घ) 234.48 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर बोंडामुंडा (दक्षिण पश्चिम रेलवे), दौंड (मध्य रेलवे), तथा मुगलसराय (उत्तरी रेलवे) में 200 तीन फेज इंजनों के लिए तीन इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।

ङ) शोलापुर सुपर ताप ऊर्जा परियोजना (महाराष्ट्र) के लिए कोयला परिवहन प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य (परियोजना का मूल्य 225 करोड़ रुपए है।)

च) ग्रामीण विकास मंत्रालय और झारखंड राज्य सरकार के लिए 685 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों (घरवा, गुमला, रांची, लोहरडांग), एवं सिमदेगा में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।

छ) धरम-काजीगुंड नई बीजी रेल लाइन, जम्मू और कश्मीर में लगभग 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कार्य।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला नई रेलवे लाइन परियोजना (यूएसबीआरएल) के अंतर्गत रियासी संगलदान खंड (किमी 61 से 91) में नई रेल लाइन के निर्माण के लिए परियोजना प्राप्त की है।

च. भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाएं अविरत हैं:

(क) 3939.35 करोड़ रुपए मूल्य पर जम्मू और कश्मीर में धरम से काजीगुंड (धरम काजीगुंड) तक किमी 100.88 से किमी 166 में बीजी नई रेल लाइन का विस्तार, डिजाइन और निर्माण।

(ख) 1575 करोड़ रुपए के मूल्य पर पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क पुल के स्टील सुपर-स्ट्रक्चर का निर्माण और अनुषंगी कार्य।

(ग) 162 करोड़ रुपए के मूल्य पर रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।

(घ) 1340 करोड़ रुपए के मूल्य पर सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।

(ड.) 253 करोड़ रुपए मूल्य पर जोगबनी (बिहार) भारत से बिराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।

(च) 539 करोड़ रुपए के मूल्य पर भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबास तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)-बीजलपुरा (नेपाल) (आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।

(छ) लगभग 1535 करोड़ रुपए के मूल्य पर राजस्थान और बिहार में सड़क उपरिपुलों का निर्माण।

(ज) लगभग 1894 करोड़ रुपए के मूल्य पर बिहार में पीएमजीएसवाई और आरएसवीवाई परियोजना का क्रियान्वयन।

(झ) 168 करोड़ रुपए के मूल्य पर काली सिंध पावर परियोजना, चरण-1, झलावार, राजस्थान के लिए रेल साइडिंग का डिजाइन, इंजीनियरिंग आदि और उसे प्रचालन के लिए आरंभ करना।

छ) संयुक्त उद्यम कंपनी

मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कंपनी

वर्ष 2004 के दौरान मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कम्पनी डोस कमीनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) का गठन किया गया था

जिसमें, आपकी कंपनी की 25% की इक्विटी हिस्सेदारी है तथा राइट्स की 26% का और मोजांबिक के रेल उपक्रम, सीएफएम की 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

सीसीएफबी में निवेश की स्थिति निम्नानुसार है:

		आज की तारीख को कुल प्रतिबद्धता (मिलियन अमरीकी डालर)
(क)	इक्विटी	1.25
(ख)	शेयरधारकों का ऋण	20.08
	कुल	**21.33**

सीसीएफबी ने 31.03.2013 तक उपर्युक्त ऋण पर 1.78 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की जिसमें 20.02.2013 को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के शेयरधारक ऋण का आंशिक पुनर्भुगतान शामिल नहीं है। नीचे वर्णित रियायत की समाप्ति के कारण 1 अप्रैल 2011 के पश्चात उपर्युक्त त्रण पर संचित ब्याज को लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया है। एक परंपरागत दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस निवेश के प्रति एक उपयुक्त प्रावधान भी किया गया है।

रियायत की समाप्ति:

संबंधित प्राधिकरण (परिवहन एवं संचार मंत्रालय, मोजांबिक सरकार) द्वारा रियायत समाप्ति का नोटिस सीसीएफबी का जारी किया गया था, जिसका उत्तर सीसीएफबी द्वारा किया गया है। मोजांबिक सरकार चाहती है कि सीसीएफबी कोयले के पारवहन के लिए युक्तिसंगत दरसूची पर सहमत हो जाए, जिस पर सीसीएफबी सहमत नहीं है। तदनुसार, सीसीएफबी में इरकॉन तथा राइट्स की इक्विटी भागीदारी को बेचकर इसके मैत्रीपूर्ण समाधान के प्रयास आरंभी किए गए थे। सभी तीनों शेयरधारक (सीएफएम, राइट्स तथा इराकॉन) इस पर सहमत थे और उन्होंने मैत्रीपूर्ण समाधान पर हस्ताक्षर किए किन्तु इस पर संबंधित अधिकारी ने अपनी सहमती व्यक्त नहीं की क्यों कि वह चाहता था कि यह करार पूर्णतः उनके पक्ष में रहे। हालांकि इस रेललाईन के पुनर्वासन का कार्य पूरा किया गया था और इस पर कोयले की आवाजाही प्रवाहपूर्ण रुप से आरंभ हो गई है, संबंधित प्राधिकारी ने दिसंबर 2011 में रियायत को समाप्त करके उस को अपने अधिकारक्षेत्र में ले लिया था। ईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबीक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थता की कार्रवाई आरंभ कर दी है और मई 2013 को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता के लिए अनुरोध दायर कर दिया है।

भारत में संयुक्त उद्यम कंपनी

1. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

'इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 19 अप्रैल, 2005 को इरकॉन तथा सोमा इन्टरप्राइस लिमिटेड (निर्माण कंपनी) की 50% की इक्विटी साझेदारी के साथ की गई थी और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पीपलगांव-धूले खंड को चार लेन का बनाने की बीओटी परियोजना निष्पादित करने के लिए किया गया है जिसे 2010-11 में पूरा कर लिया गया है।

आईएसटीपीएल में इरकान के निवेश का मूल्य 63.87 करोड़ रुपए हे जो कि आईएसटीपीएल की इक्विटी पूंजा का 50 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान 8 बैंकों (प्रमुख ऋणदाता बैंक के रुप में एसबीआई सहित)से आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए आवधिक ऋण को पुनर्भुगतान कर दिया गया है और एसबीआई के पास बंधक इक्विटी शेयरों को वापस ले लिया गया है। जहां तक शेयरधारकों की स्वीकृति द्वारा अपनी अपेक्षित निधियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान आईएसटीपीएल द्वारा पीएनबी से लिए गए 521.53 करोड़ रुपए के ऋण का संबंध है, इसमें 31 मार्च 2013 को 494.96 करोड़ रुपए का बकाया ऋण शेष है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 2011-12 में पीएनबी को दिए गए शपत के अंतर्गत आईएसटीपीएल में इरकॉन की मौजूदा शेयरधारिता के 30 प्रतिशत के शपत को इरकॉन द्वारा पीनएबी और आईएसटीपीएल के साथ एक त्रिपक्षीय शपथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड

दो परियोजना विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से छत्तीसगढ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में दो कोयला संपर्कता रेल कॉरीडोर, कॉरीडोर-1: पूर्वी कॉरीडोर (लंबाई 180 किमी), और कॉरिडोर-2: पूर्व पश्चिम कॉरिडोर (लंबाई 122 किमी) के विकास के लिए 3 नवंबर 2012 को इरकॉन, छत्तीसगढ सरकार और साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, दो संयुक्त उद्यम कंपनियां यथा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) का सृजन क्रमशः 12 मार्च, 2013 तथा 25 मार्च, 2013 को किया गया था जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26%, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ राज्य की नामिति) की इक्विटी भागीदारी 10% और एसईसीएल की इक्विटी भागीदारी 64% है।

सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल दोनों ने 07 मई, 2013 को कार्य आरंभ करने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था।

दोनों कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये है और उनकी प्रदत्त व अंशदायी शेयर पूंजी प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये है। दोनों कंपनियों ने इरकॉन का निवेश प्रत्येक के लिए 1.30 लाख रुपये है क्योंकि सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल दोनों में इक्विटी पूंजी का 26% है।

छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन के निर्माण हेतु एम. ओ. यू. हस्ताक्षर समारोह।

छ. सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लि. (इरकॉन आईएसएल)

आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी सहित 30 सितम्बर, 2009 को "इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड" (इरकॉन आईएसएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया था। इरकॉन आईएसएल ने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.9 करोड़ रुपए है। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास तथा सुधार आदि कार्य करना; तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण उपायों सहित सभी प्रकार से सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

इरकॉन आईएसएल को रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। इरकॉन आईएसएल द्वारा लिए गए 23 स्टेशन परिसरों में से 21 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो गया है, और शेष 5 स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही इरकॉन आईएसएल पूरे किए गए बहुउद्देशीय परिसरों को आरंभ करेगी। भारतीय रेल भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों के अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण तथा इरकॉन आईएसएल के बीच 04 जुलाई, 2013 को पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे इरकॉन द्वारा बहुउद्देशीय परिसरों के उप पट्टाकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इरकॉन आईएसएल में निवेश में शामिल है:

	कुल निवेश (करोड़)
इक्विटी (100% शेयरधारिता)	40
ऋण (प्रतिबद्ध 75 करोड़ रुपए)	35.10
कुल	**75.10**

2. भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरडीसी)

आपकी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 12 अप्रैल 2012 को "भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरडीसी)" नामक एक सहायक कंपनी का निर्माण किया था। आईआरएसडीसी में आपकी कंपनी की शेयरधारिता 51 प्रतिशत है। रेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण की शेयरधारिता 49 प्रतिशत है। इसने 9 मई 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए और इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 20 करोड़ रुपये है।

समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशनों का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन तथा आनंद विहार (नई दिल्ली) में 5 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। यह परियोजना स्व विकास मॉडल या तीसरे पक्ष विकास या दोनों के संयोजन के आधार पर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है जिसमें आईआरएसडीसी को स्टेशन विकास तथा पुनर्विकास कार्यों के प्रयोजन से वाणिज्यिक विकास के लिए पट्टाधारित अधिकार, मार्गाधिकार तथा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

अनुपालन

क) लेखांकन उपचार का प्रकटन

1) **बंद ईराक परियोजना के बकाया देय** -स्थगित ईराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठेकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा (1 अमरीकी डालर =35.802 रुपए) पर परिवर्तित किया जाता है, जैसाकि पिछले वर्ष किया गया था, एएस-11 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तुलन पत्र की तारीख की दरों के स्थान पर। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरणों के नोट सं 40(ग) में दिया गया है।

2. **बैरा रेल रियायत परियोजन** - सीसीएफबी को दिए गए ऋणों पर संचित मूल तथा ब्याज को लेखांकन मानक-11 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान दरों के स्थान पर विवेक के आधार पर 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 44.23 रुपए) पर रुपांतरित किया गया है। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरणों के नोट सं 41 में दिया गया है।

ख. राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2012-13 के दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. राजभाषा

नियमित रुप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के साथ-साथ यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ-साथ कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय के एक राज्य स्तरीय जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट में डाल दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय सीमा

के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रुप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी को 162 अपील (इसमें पिछले वर्ष अग्रेषित की गई 11 अपीलें भी शामिल हैं) प्राप्त हुए हैं जिनमें से 149 का उत्तर दिया जा चुका है। शेष 02 अपीलें अतिरिक्त शुल्क प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं और शेष 12 अपीलें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया में है और वर्ष की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर इनके उत्तर दिए गए हैं।

ड. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975, जिसे 31 मार्च, 2011 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया है, के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसार 2012-13 के दौरान प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रतिमाह 5 लाख रुपए या अधिक पारिश्रमिक किसी भी कार्मिक ने प्राप्त नहीं किया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त जिन्होंने वर्ष 2012-13 के दौरान 71.16 लाख रुपये (लगभग) का वेतन प्राप्त किया है जिसका ब्यौरा अनुबंध-ग पर निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 4.1 पर उपलब्ध है।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए अधिकारियों को प्रख्यात संस्थानों के साथ नामित किया गया था। कार्यपालकों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई थीं जिसे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ा गया था तथा संगठनात्मक संस्कृति के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए गए थे। कंपनी व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

31 मार्च 2013 को कार्मिकों की कुल संख्या 1465 है जिनमें 102 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा इनमें से अधिकतर (80) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया है। 1363 नियमित कार्मिकों में से 1095 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 74 है, जिनमें से 40 कार्यपालक हैं। कंपनी के 781 (50.50%) कार्मिक इंजीनियर हैं।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैस कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय, राय बरेली में परियोजना कार्यालय तथा गुड़गांव में प्रशिक्षण केन्द्र में व्यायाम (जिम) सुविधाओं के अतिरिक्त पुरुष व महिला दोनों वर्ग के कर्मचारियों के लिए योगा कक्षायें चलाई जाती हैं।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है जो किसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करती है, चाहे वह अनौपचारिक ही क्यों न हो ताकि समस्या को आरंभ में ही समाप्त किया जा सके।

28 अप्रैल, 2013 को 37वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। इसे सीएसआर-एसडी दिवस के रुप में भी चिह्नित किया गया था जिसमें सभी परियोजनाओं को अपने परियोजना क्षेत्र में पौधे लगाने को कहा गया था।

गुणवत्ता प्रबंधन, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्वलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। सितम्बर, 2011 में कंपनी को टीयूवी एसयूवी दक्षिण एशिया द्वारा अद्यतन संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2008 के अनुसार लेखापरीक्षा के पश्चात पुन:प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र सितम्बर, 2014 तक वैध है।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और इसे अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001 : 2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र अक्टूबर, 2014 तक वैध है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा 28 दिसम्बर, 2012 को व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र दिसम्बर, 2015 तक वैध रहेगा। निर्माण गतिविधियों के दौरान संभावित खतरों के जोखिम प्रबंधन का कार्य ओएचएसएएस की अपेक्षाओं की अनुसार परियोजनाओं में किया जा रहा है। कंपनी के आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षकों द्वारा परियोजनाओं में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की गई थी। सभी कार्यालयों तथा परियोजनाओं में प्रति वर्ष आंतरिग गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया जाता है। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों आदि का भी उल्लेख होता है।

गुणवत्ता प्रबंधन विभाग द्वारा पर्यावरण के चिह्नित प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए प्रचालनिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना की गई है और अधिकारियों, परियोजना कार्मिकों तथा स्टाफ को निर्माण गतिविधियों, संयंत्रों तथा मशीनरी, वाहनों आदि से होने वाले पर्यावरणिक प्रभावों के संबंध में जागरुक करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी भारतीय परियोनाओं में सुरक्षा और पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय भवन में विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियां संस्थापित की गई हैं और पर्यावरण सहिष्णु प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है।

अनुसंधान एंव विकास

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रुप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में रेलपथ स्थापन उपकरणों का स्वदेशीकरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन में सक्षमता का विकास आदि शामिल हैं। कंपनी ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी पर विशिष्ट बल देत हुए तथा तकनीकी श्रमशक्ति के कौशलों में सुधार करने के लिए परियोजना सुपुर्दगी में सुधार करने, लागत में कमी करने तथा स्थायी सामान्य व्यवसाय के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं के लिए अनुसंधान तथा विकास प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन तथा समावेशन

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक 'इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष' स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है। जम्मू और कश्मीर की हाल में आरंभ किए गए पीर पंजाल सुरंग में सुरंग संवातन प्रक्रिया में पहली बार सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए विद्युतीय उपकरणों की ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा मॉनिटरिंग के नियंत्रण के लिए 11केवी प्रणाली हेतु पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) का प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना परियोजना में भी किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी का विकास

कंपनी ने वित्त तथा मानव संसाधन (एचआर) में उन्नत व्यावसायिक प्रक्रियाओं सहित बेहतर क्रियात्मक संवर्धनों के लिए एसएपी ईसीसी 6.0 के नवीनतम वर्जन का प्रयोग आरंभ कर दिया है। निकट भविष्य में अन्य विभागों और परियोजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

आपकी कंपनी एक अत्याधुनिक केन्द्र का अनुरक्षण कर रही हैं। यह डाटा केन्द्र समर्पित लीज लाइनों के माध्यम से हर समय राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ जुड़ा रहता है। यह डाटा केन्द्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए सुरक्षित रुप से सुरक्षित उच्च गति लेन तथा वेन सम्पर्कता के लिए नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से भी सुसज्जित है।

घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और नियंत्रण विडियो कान्फ्रेंशिंग जैसी लागत कुशल संचार सुविधाओं सहित कम्प्यूटर आधारित आरेखन एवं अभिकल्प सॉफ्टवेयर सहित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से किया जा रहा है।

सर्तकता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है।

यह विभाग निविदा और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस वर्ष विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में 12 निरीक्षण किए हैं। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। निष्कर्षों के आधार पर निविदा एवं संविदा, वित्त आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनियमितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निवारण के लिए कदम उठाए गए थे। कर्मचारियों अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतिस्पर्धाओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए "प्रौद्योगिकी के उत्तोलन" के लिए एक कदम के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन चल संपत्ति रिटर्न जमा कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर सतर्कता अनुभाग/पोर्टल में शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध है। बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से संगठन में पहले ही ई-प्रापण प्रणाली आरंभ की गई है। सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के लिए कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभावरहित, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी वातावरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

मुख्य सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों में प्रमुख प्रापणों के संबंध में समेकित संधि को अपनाए जाने की सिफारिश की है। कंपनी में प्रमुख प्रापण संविदाओं में समेकन संधि को अपनाए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. वर्ष 2012 के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण में सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में डन एंड ब्रेटस्ट्रीट भारतीय श्रेष्ठ पीएसयू 2012 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 28 मई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक (05 मार्च, 2013 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) इरकॉन को तत्कालीन निगमित कार्य मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली द्वारा प्रदान किया गया था।
2. "मानव संसाधन ओरिएंटेशन" वाले सीईओ के लिए ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस पुरस्कार 17 फरवरी, 2013 को मुम्बई में आयोजित एक समारोह में सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया था।
3. वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी को शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी से रजत ट्रॉफी प्राप्त हुई। यह पुरस्कार 15 मार्च, 2013 को मुम्बई में आयोजित एक समारोह में चेक रिपब्लिक के माननीय उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री मार्टिन क्यूबे द्वारा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया था।

इरकॉन के सी एम डी श्री मोहन तिवारी चेक गणराज्य के माननीय मंत्री श्री मार्टिन क्यूबा से ईईपीसी एक्सपोर्ज अवार्ड प्राप्त करते हुए।

एकीकृत रिपोर्ट

"सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट", "प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट", तथा "कार्पोरेट शासन रिपोर्ट" इनके उप-अनुबंधों सहित निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" "ख" तथा "ग" के रूप में रखा गया है।

सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट वर्ष के दौरान आरंभ की गई धारणीय विकास योजना, नीति तथा गतिविधियों को दर्शाने वाली रिपोर्ट है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी, इसके कानूनी स्तर और स्वायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एवं उद्देश्यों, दृष्टिकोण, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती हैं:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है । इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं।

1. वर्ष 2012-13 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार सहिंता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 'ग'-1 पर);
2. वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनियता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र(अनुलग्नक 'ग'-2 पर); और
3. सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र(अनुलग्नक ग-3 पर) ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2012-13 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

(iii) जैसा कि वार्षिक लेखा में घोषित है, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956, के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

(iv) वार्षिक लेख-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है ।

निदेशक मंडल

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित हुई थीं जिनमें से दो बैठकें दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में, एक-एक बैठक जून 2012, सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 को समाप्त तिमाहियों में आयोजित की गई थीं ।

आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं:

1	**श्री मोहन तिवारी,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	01/02/2009 से प्रभावी
2	**श्री के. के. गर्ग,** निदेशक वित्त	03/11/2009 से प्रभावी
3	**श्री दीपक सबलोक,** निदेशक परियोजना	16/04/2010 से प्रभावी
4	**श्री हितेश खन्ना,** निदेशक कार्य	07/03/2011 से प्रभावी
5	**डॉ0 जी. वी. राव,** स्वतंत्र निदेशक, अंशकालीन (गैर-सरकारी)	08/10/2010 से प्रभावी
6	**प्रो. (डॉ) एस. एस.चेटर्जी** स्वतंत्र निदेशक, अंशकालीन (गैर-सरकारी)	16/09/2011 से प्रभावी
7	**श्री बी.एम शर्मा** स्वतंत्र निदेशक, अंशकालीन (गैर-सरकारी)	19/09/2011 से प्रभावी
8.	**श्री अंजुम परवेज,** अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	15/07/2013 से प्रभावी

* रेलवे बोर्ड के 05 मार्च, 2013 के पत्र की शर्तों के अनुसार 05 मार्च, 2013 से श्री मोहन तिवारी को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

2012-13 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक निम्नलिखित निदेशकों ने अपने पद को छोड़ा है :

1.	**श्री ए.पी. मिश्रा,** अंशकालीन अध्यक्ष (सरकारी)	दिनांक 31.01.2013 (अ.) को सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के पद से अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद को छोड़ा। 27.10.2010 (पू.) से 31.01.2013 तक पद पर रहे।
2.	**श्री डी.के. सराफ,** अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	दिनांक 30.06.2013 (अ.) को अपर सदस्य नियोजन, रेलवे बोर्ड के पद से अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद को छोड़ा। 17.02.2012 (पू.) से 30.06.2013 तक पद पर रहे।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं -

सांविधिक लेखापरीक्षक :	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	कम्पनी के लिए समग्र रुप से
भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
ए एस पी एन एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं (श्रीनगर क्षेत्र के रूप में नामित)
जे.एल.सेनगुप्ता एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
जी पी कपाडिया एंड कंपनी, मुंबई (महाराष्ट्र)	पश्चिमी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
एम.एस.एस.वी. एंड कंपनी, बंगलुरु (कर्नाटक)	दक्षिण क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	मलेशिया, इथोपिया, मोजांबिक तथा अफगानिस्तान में सभी परियोजनाएं

कैबिनेट डी.ऑडिट ऐट सीएसी, अल्जीरिया	अल्जीरिया
गजमा एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका

लागत लेखाकार

निदेशक मंडल ने लागू नियमों/मार्गदर्शी नोटों के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्डों के निरीक्षण के लिए 2012-13 के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर एक्सबीआरएल फार्मेट में वर्ष 2011-12 के लिए लागत अनुपालन रिपोर्ट और उसके अनुबंधों को निगमित कार्य मंत्रालय में दायर किया गया था।

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं ।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 26.07. 2013

संलग्नक "क"

सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट

क. सीएसआर

वर्ष 2012-13 के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु बजट वर्ष 2011-12 के लिए पीएटी का 2% था अर्थात लगभग 9.4 करोड़ (2011-12 के लिए पीएटी 469.92 करोड़ रुपये था)।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के प्रति वर्ष 2012-13 के दौरान 9.8 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए इरकॉन और रेल मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन और सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों का मुख्य केन्द्र 5 चिह्नित क्षेत्र हैं अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, कौशल विकास तथा अन्य गतिविधियां, जैसा कि सरकारी विभागों द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया गया था।

(i) स्वास्थ्य :

(क) सरकारी अस्पतालों में मौजूदा क्षमता के संवर्धन हेतु और बनीहाल (जम्मू और कश्मीर), लालगंज (उत्तर प्रदेश), तथा रेणुगस, कोटा, जोधपुर तथा चितौड़गढ़ (राजस्थान) में विभिन्न अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे मशीन, ईसीजी मशीन, सी-एना प्रकार एक्स-रे मशीन आदि की आपूर्ति हेतु। स्वास्थ्य जागरुकता में सुधार करने और आधारभूत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेनीहाल (जम्मू और कश्मीर), लालगंज, सीवोक (पश्चिम बंगाल), तथा जयपुर और सिकर (राजस्थान) में चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया गया था।

(ख) परियोजना क्षेत्रों के आसपास के समीपवर्ती गांव की नेमी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनीहाल, लालगंज, रायबरेली, सिवोक, तथा श्रीलंका में मनकुलूम और मेदवच्चिया में वर्ष के दौरान 5 चिकित्सा इकाइयों का अनुरक्षण किया गया था। 5 परियोजना स्थलों में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं और पिछले वर्ष खरीदी गई 05 एम्बुलेंसों के अतिरिक्त इस वर्ष 02 अतिरिक्त एम्बुलेंसें खरीदी गई थीं।

(ii) शिक्षा :

शैक्षिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए बिहार में भेरियार तथा फेना में वर्ष के दौरान 02 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया था। बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अनेक स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों, पेयजल, फर्नीचर, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी आदि जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया था।

(iii) सड़क संपर्कता :

दूरस्थ गांवों को हर मौसम के लिए संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु, बिहार के 07 गांवों में पक्की सड़कें उपलब्ध कराई गई थीं। इसके अतिरिक्त, आसपास से गांवों से समीपवर्ती नगरों तक संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और कश्मीर में बेनिहाल से लंबर सड़क का स्तरोन्नयन भी किया गया था। जम्मू और कश्मीर में दिग्गडोले, उरनिहोल तथा चरील गांवों में संक्रीट के फुटपाथ उपलब्ध कराए गए हैं।

(iv) कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार तथा आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों में बनिहाल और लालगंज में कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, बनिहाल (जम्मू और कश्मीर), किशनगंज (राजस्थान), तथा दिल्ली के बसंत लेन क्षेत्र में टेलरिंग, ड्रेस डिजाइनिंग आदि के प्रशिक्षण द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्यार्थियों के लाभ के लिए आईटीआई, धौलपुर (राजस्थान) में लड़कों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया गया था।

(v) सौर प्रकाश का प्रावधान:

दूरस्थ स्थलों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बेनिहाल, सिवोक, धौलपुन और लालगंज में सोलर ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई गई थी।

ख. धारणीय विकास

वर्ष 2012-13 के लिए धारणीय विकास गतिविधियों के लिए बजट 50 लाख रुपए जमा वर्ष 2011-12 के लिए पीएटी की राशि, जो 100 करोड़ रुपए से अधिक है, का 0.1 प्रतिशत है अर्थात लगभग 87 लाख रुपए (वर्ष 2011-12 के लिए पीएटी 469.92 करोड़ रुपए) है।

कंपनी ने धारणीय विकास गतिविधियों के प्रति वर्ष 2012-13 के दौरान 90.04 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

निदेश मंडल द्वारा स्वीकृति धारणीय विकास योजना और नीति के अनुसार इरकॉन तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 में हुए

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहचानी गई पांच धारणीय गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

(i) क्रमिक बैच रियेक्टर प्रकार का सीवेज उपचार संयत्र तथा जल रीसाइकलिंग।

(ii) राय-बरेली में नई प्रकार की वर्षा जल संरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराना।

(iii) कारखाना शेड में पाईप लाइट का प्रावधान।

(iv) धारणीय विकास के पहलुओं पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(v) स्थानीय समुदाय तथा अन्य स्टेकधाराकों को प्रशिक्षण।

वर्ष 2012-13 के दौरान सभी पांच गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

आंतरिक समीक्षा के अतिरिक्त तीन प्रमुख धारणीय विकास गतिविधियों का अंतिम मूल्यांकन बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चिह्नित पांच गतिविधियों के अतिरिक्त, हरित उपायों के रुप में वर्ष के दौरान कंपनी ने इरकॉन के भवनों में सोलर पावन पैनलों (100 किवा क्षमता तक) को संस्थापित किया है।

ग. सीएसआर - एसडी : 2013-14

डीपीई ने 1 अप्रैल 2013 को "सीपीएसई के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता" पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर और एसडी गतिविधियों को वर्ष 2013-14 के दौरान जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने सीएसआर और धारणीयता के लिए एक संयुक्त नीति निर्धारित की है और पिछले एसडी समिति के स्थान पर बोर्ड स्तर की एक सीएसआर-एसडी समिति (स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर-एसडी गतिविधियों के लिए बजट 2012-13 के पीएटी (पीएटी के 1% से 2% के बीच) के 1% से कम नहीं होना चाहिए।

जम्मू एवं काश्मीर के डिगोले में इरकॉन द्वारा सीएसआर के तहत लगाया गया सौर्य उर्जा लाइटें।

संलग्नक "ख"

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे और राजमार्ग निर्माण कार्य की विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में निरन्तर क्षेत्रक अगुआ बनी हुई है। कंपनी अपनी स्थापना के दूसरे वर्ष से ही लगातार वर्ष प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से एक है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही हैं। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोत्तर विविध कार्यों तथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक कॉम्लेक्स के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है।

आपकी कंपनी ने पिछले 37 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भूभागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए जानी जाती है।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण, और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी तथा अनूसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है तथा मिनिरल श्रेणी -I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है जिसे, वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है, और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरुपता लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्रमश: 8.6% तथा 9.3% की विकास दर को प्राप्त किया है, किन्तु बाहरी और घरेलू दोनों कारकों की वजह से, वर्ष 2011-12 में अर्थव्यवस्था की विकास दर कम होकर 6.2% हो गई। वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू विकास की 5% की विकास दर 10 वर्षों में सबसे धीमी विकास दर रही है और इसके लिए यूरो क्षेत्र में संकट और यूनाइटिड स्टेट्स की वित्तीय नीति में अनिश्चितताओं सहित अनेक वैश्विक और घरेलू कारण ज़िम्मेदार हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 ने पूर्वानुमान किया है कि 2013 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना है और विभिन्न सरकारी उपाय वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय आर्थिक परिदृश्य में सुधार लाने में सहायक होंगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कुल निवेश का अनुमान 56.3 लाख करोड़ रुपए (लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर)है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से लगभग दुगुना है।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में लंबा समय लगता है । परियोजनाओं के निष्पादन से लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आती है बल्कि उपलब्धता में अंतर भी बढ़ जाते हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय लगना भी अनेक अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में कम उपलब्धियों के कारण हैं। इरकॉन अति उच्च प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालन कर रहा है जहां निजी अवसंरचनात्मक कंपनियों ने आर्थिक मंदी के कारण सीमित अवसरों का लाभ उठाने के रुप में परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रीय कोटिंग को अपनाया है।

निर्माण उद्योग वस्तुओं की कीमतों और ब्याज दरों में उतार-चढाव से अत्यधिक प्रभावित होती है और अनेक अवसंरचनात्मक कंपनियां हाल के वर्षों में उच्चावचन की अति उच्च दर से प्रभावित हुए हैं। इरकॉन इन जोखिमों से निपटने में सफल रहा है और अति उच्च जोखिमपूर्ण संविदाओं को प्राप्त करने से बचा है।

भौतिक अवसंरचना के सृजन में कंपनी के लिए अवसर निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान हैं:

रेलवे: "भारतीय रेल विजन 2020" में 25000 किमी नई रेल लाईन बिछाने , यात्री तथा मालभाड़ा रेल लाईनों के पृथकिकरण के साथ

6000 किमी नेटवर्क को चौगुना करना, 14000 किमी रेल विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करना, 2000 किमी उच्च गति गलियारे का निर्माण पर बल दिया गया है। समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) परियोजना में मुम्बई से रेवाड़ी तक पश्चिमी कॉरीडोर तथा लुधियाना से दनकुनी तक पूर्वी कॉरीडोर को द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण, बजटीय सहायता तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के मिश्रित प्रयासों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन गलियारों को 12वी योजना के अंतिम वर्ष यथा 2016-17 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन तथा रेलवे स्टेशनों का विकास वे दो अन्य क्षेत्र हैं जहां कंपनी के लिए अवसर विद्यमान हैं और इरकॉन पहले से ही इरकॉन आईएसएल और आईआरएसडीसी नामक अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से इनका लाभ उठा रहा है।

सड़कें : सड़क क्षेत्र में मुख्य बल न्यूनतम स्वीकार्य दो-लेन मानक तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गति सड़क विकास कार्यक्रम, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास, जम्मू और कश्मीर राज्य में सड़कों के निर्माण/पुनःनिर्माण के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निमाण योजना, प्रगतिरत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएनजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण आदि पर दिया गया है।

विद्युतीय परियोजनाएं : बीओटी/बीओओटी/बीओएलटी के अंतर्गत विद्युतीय परियोजनाएं प्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त उद्यम/ कंसोर्टियम के सदस्य के रुप में कंपनी को अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।

सिगनलिंग और दूरसंचार परियोजनाएं : कंपनी के पास सिगनलिंग और दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए अवसर विद्यमान हैं।

आपकी कंपनी पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, भारतीय रेलवे के लिए सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पोत संपर्कता परियोजना, विद्युतीय उप-स्टेशनों, रेल विद्युतीकरण, ऊर्जा आपूर्ति वितरण नेटवर्क तथा औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है।

कंपनी **मलेशिया, श्रीलंका, अल्जीरिया,** में भी परियोज़नायें निष्पादित कर रही है। इसके अतिरिक्त, **बांग्लादेश और म्यानमार में भी अवसर विद्यमान हैं।**

दृष्टिकोण

वर्ष 2013-14 के लिए रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

1 भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

उद्देश्य

1. कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2016-17 तक 5500 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।
2. लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2012-13 में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है यथा 4481 करोड़ रुपए है जो वर्ष 2011-12 में प्राप्त 3782 करोड़ रुपए की कुल आय से अधिक है। कुल आय (4232 करोड़ रुपए) का लगभग 94% निर्माण कार्यों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 47% (1975 करोड़ रुपए) विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है । स्पष्ट शब्दों में पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। कर पूर्व लाभ 2011-12 में 602 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 में 1015 करोड़ रुपए हो गई है जो 69% की वृद्धि को दर्शाता है और कर पश्चात लाभ में भी 55% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 में 470 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 730 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 32% की वृद्धि हुई है तथा सकल मार्जिन में 28% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2011-12 में 474.76 रुपए से बढ़कर 2012-13 में 505.72 रुपए हो गई है जो कि केवल 7% की वृद्धि है और यह वर्ष 2012-13 के दौरान 1:1 के अनुपात में बानस शेयर जारी करने के कारण हुआ है।

निदेशक मंडल ने 50 रुपए प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 500%) की दर से लाभांश की घोषणा व भुगतान पर विचार करने की सिफारिश की है। कंपनी ने पहले ही फरवरी 2013 में 25 रुपए प्रति शेयर (250%) की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वार्षिक आम बैठक की घोषणा के पश्चात देय 98.98 करोड़ रुपए का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (49.49 करोड़ रुपए), मिलकर वर्ष 2012-13 के लिए 148.47 करोड़ रुपए का कुल लाभांश होगा, जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 750% है।

प्रचालनिक निष्पादन

क्षेत्रीय निष्पादन

रेलवे लाभ का मूल क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रचालन आय-रेल से 92%, हाईवे से 5% तथा शेष 3% भवनों, विद्युत उप-स्टेशनों आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। तालिका राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे के कार्यों में पिछले तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। रेलवे निर्माण कार्यों से प्रचालनिक आय का अनुपात वर्ष 2010-11 में 64% से बढकर वर्ष 2012-13 में 92% हो गया है, जबकि राजमार्ग क्षेत्र में यह अनुपात 2010-11 में 29% से घटकर 2012-13 में 5% हो गया है। विद्युतीय परियोजनाओं तथा उप-स्टेशनों (जो कि 'अन्यों' का भाग है) से आय के भाग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 58% की भी कमी हुई है।

(रूपए करोड़ में)

	2010-11		2011-12		2012-13	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	2033	64	2907	81	3906	92
राजमार्ग	935	29	489	14	225	5
भवन	61	2	76	2	42	1
अन्य*	146	5	129	3	59	2
कुल	**3175**		**3601**		**4232**	

* विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2010-11 के दौरान 128 करोड़ रुपए, 2011-12 के दौरान 124 करोड़ रूपए तथा 2012-13 के दौरान 52 करोड़ रूपए)।

सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन

वर्ष 2011-12 तथा 2010-11 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान 49% है जो कि 2012-13 में 44% रहा। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपए करोड़ में)

	2010-11		2011-12		2012-13	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	1587	49	1865	49	1995	44
घरेलू	1613	50	1764	47	2272	51
अनाबंटित	54	1	153	4	214	5
जोड़	3254		3782		4481	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं विशाल वित्त व्यवस्था (निरंतर लाभ प्रदत्ता तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होता है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से रेलवे सेक्टर में पिछले दो वर्षों में अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पुन:जागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है। रेलवे तथा राजमार्ग क्षेत्र में बीओटी परियोजनाएं तथा रियल एस्टेट कंपनी की वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने के लिए अत्यंत आकर्षक अवसर उपलब्ध कराता है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं।

रणनीति

उभरती हुई भारतीय निर्माण अवसंरचनात्मक कंपनियों, जो विदेशी बाजार की ओर देख रही हैं, से संभावित प्रतिस्पधा के दृष्टिगत, इरकॉन को बाजार में बने रहने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी। इरकॉन के समक्ष निवेश परियोजनाओं विशेष रुप से पीपीपी आधार पर विदेशों में परियोजनाओं को लेने के लिए सीमितताएं हैं। चूंकि भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में पीपीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के आने की संभावना है, इसलिए इरकॉन को विदेश में परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए नई नीतियां तैयार करनी होंगी। हाल के वर्षों में परियोजनाओं में वर्तमान जोखिमों में वृद्धि हुई है। इरकॉन को इन जोखिमों की व्यवस्था करते रहनी होगी।

अगले दो वर्षों में अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए व्यावसायिक वातावरण कठिन बना रहेगा और केवल सर्वाधिक कुशल कंपनियां ही उच्च प्रतिस्पर्धी और जोखिमपूर्ण बाजार में बने रहेंगे। अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, विद्युतीकरण उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को और अधिक समेकित किया जा रहा है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

अगस्त 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है। कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर की एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्ट सहित एमआईएस रिपोर्टों फार्मेट तैयार किए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए हैं। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रक्रियाएं विद्यमान है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-II मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'सीएआरई एएए' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग (इसे पहले 'पीआर 1+' रेटिंग कहा जाता था और इसे अब सेबी द्वारा 15 जून 2011 को जारी परिपत्र के अनुसार मानकीकृत कर दिया गया है) प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा फरवरी, 2013 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुन: पुष्टि की है।

इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचन की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनिमयित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रुप से विदेशी बैंको में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरुप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका को उचित रूप से संशोधित किया गया है और उसमें आंतरिक लेखपरीक्षकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त दिए गए हैं। प्रमुख निष्पादन सूचकांकों को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से गहन मानीटरिंग की जाती है। मार्जिन से नीचे चल रही परियोजनाओं के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी व वितीय लेखापरीक्षा व नियंत्रण की एक प्रणाली आरम्भ की गई है।

आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी परियोजना आधारित कंपनी है इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताएं स्थाई प्रकृति की हैं। इसलिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा के आधार पर भर्ती किए जाने वाले माध्यमों को वरीयता प्रदान की जाती है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निधारण किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

दूसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की तर्ज पर सभी परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करके सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

कंपनी में अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा सेवानिवृत्ति पश्चात एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंतरण चिकित्सा लाभों के मौजूदा हैं। कंपनी दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार अधिवर्षिता लाभ के भाग के रूप में एक पेंशन योजना तैयार कर रही है जिस पर रेल मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही हैं।

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. **कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी के विचार**

1.1 **कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है** "व्यावसायिक, लाभकारी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"

1.2 **निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं:-**

1. रचनात्मक दृष्टिकोण
2. एक टीम के रूप में कार्यरत
3. कार्य में उत्कृष्टता
4. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
5. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. **निदेशक मंडल**

2.1 **निदेशक मंडल की संरचना**

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में 08 निदेशक हैं जिनमें 03 स्वतंत्र निदेशक, 04 पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, , निदेशक वित्त निदेशक, परियोजना तथा निदेशक निर्माण) तथा एक सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशक कुल संख्या का एक तिहाई हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों (डीपीई सीजी दिशानिर्देशों) तथा डीपीई की मिनी रत्न अपेक्षाओं के अनुरुप है।

2.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल/ समितियों में उनकी सदस्यता (इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी स्वतंत्र	सार्वजनिक कंपनियों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत सार्वजनिक कंपनीयों में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
मोहन तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक -पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	शून्य
के.के. गर्ग	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	3 (सीईडब्ल्यूआरएल, सीईआरएल तथा सीसीएफबी)	1 1	1 1
दीपक सबलोक	निदेशक परियोजना - पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	3
हितेश खन्ना	निदेशक कार्य - पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1

जी वी राव	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	शून्य	1	2
एस.एस.चटर्जी	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	1 (आरवीएनएल)	1	2
बी.एम.शर्मा	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	शून्य	1	1
अंजुम परवेज (15.07.2013 से)	अंशकालीन (सरकारी)	शून्य	1	2

पदमुक्त हुए निदेशक
(वर्ष 2012-13 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी स्वतंत्र	सार्वजनिक कंपनियों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत सार्वजनिक कंपनीयों में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
ए.पी. मिश्रा	अध्यक्ष - अंशकालीन (सरकारी)	1 (आरवीएनएल, डीएमआरसी तथा केआरसीएल)	शून्य	शून्य
डी.के. सर्राफ	अंशकालीन (सरकारी)	2 (एमआरवीसी)	1	2

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 में उल्लिखित पंद्रह (15) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
2. अंतिम कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति, पारिश्रमिक समिति, सीएसआर,एवं धारणीय विकास समिति, शेयर इश्यू समिति।
3. निदेशकों की समिति सदस्यता/अध्यक्षता संख्या सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ग) (2) में विहित कुल 10 (दस) सदस्यता जिसमें 5 (पाँच) अध्यक्ष पद शामिल हैं कि अधिकतम सीमा के भीतर हैं।
4. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त "पूर्णकालिक निदेशक" पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
5. इस रिपोर्ट में "अंशकालिक निदेशक" पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
6. 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
7. शब्द "गैर-सरकारी" स्वतंत्र उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।
8. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 मे दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।

9. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

क) एमआरवीसी	-	मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
ख) आरवीएनएल	-	रेल विकास निगम लिमिटेड
ग) डीएमआरसी	-	दिल्ली मेट्रो निगम लिमिटेड
घ) केआरसीएल	-	कोंकण रेल निगम लिमिटेड
ड.) सीसीएफबी	-	कंपैनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें इरकॉन की 25% इक्विटी है।
च) इरकॉन आईएसएल	-	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
छ) आईआरएसडीसी	-	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., इरकॉन तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और भारत में इरकॉन की सहायक कंपनी (51% इक्विटी) है।
ज) सीईआरएल	-	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की 26% की इक्विटी है।
झ) सीईडब्ल्यूआरएल	-	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की 26% की इक्विटी है।

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध में नहीं होगा। एक निदेशक (अंशकालीन सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं। चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त कंपनी के हाथ में नहीं है और यह कार्य सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड-255 से 257 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालीन निदेशों की नियुक्ति सरकार करती है (ना कि कंपनी) और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255 से 257 लागू नहीं होती है। सरकार कंपनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी पर अधिकार नहीं रखती है। कंपनी की 99.73% की प्रदत्त शेयर पूंजी सरकार द्वारा धारित है और शेष 0.27% आईआरएफसी, एक सरकारी कंपनी, और बैंक ऑफ इंडिया, एक पीएसयू बैंक द्वारा धारित है।

3.1 कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

श्री अंजुम परवेज, कार्यपालक निदेशक (परियोजना मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा जारी 08.07.2013 के राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत 15 जुलाई 2013 (उनकी सहमति की तिथि) से इरकॉन के अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं।

इनका जन्म 17.09.1966 को हुआ। श्री परवेज ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) से बी.ई (सिविल इंजीनियरिंग) की है। वे भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और इन्होंने वर्ष 1991 को भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया। इन्हें रेलपथ आधुनिकीकरण; सिविल इंजीनियरिंग संरचना तथा विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और कमीशनिंग सहित भारतीय रेलवे में विभिन्न क्षमताओं में कार्य का 22 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

कार्यपालक निदेशक (परियोजना मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में वे रेल परियोजनाओं यथा नई लाईन, आमान परिवर्तन, तथा दोहरीकरण परियोजनाओं की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी हैं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नही मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10- बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रूप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्राधिकार का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल ने 26 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2012-13 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन (रुपये में)

क्र सं0	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन*	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	**श्री मोहन तिवारी**** प्रबंध निदेशक (04.03.2013 तक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05.03.2013 से)	25,15,925	6,75,587	37,14,224	2,12,960	-	-	71,18,696
2	**श्री के.के. गर्ग,** निदेशक वित्त (2012-13 में वर्ष भर)	21,93,799	5,59,366	27,74,318	1,90,601	-	-	57,18,084
3	**श्री दीपक सबलोक** निदेशक परियोजना (2012-13 में वर्ष भर)	20,88,026	5,30,859	26,82,563	1,87,984	-	-	54,89,432
4	**श्री हितेश खन्ना,** निदेशक निर्माण (2012-13 में वर्ष भर)	20,36,542	4,14,873	20,24,119	1,84,992	-	-	46,60,526

* वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित

** श्री मोहन तिवारी का जन्म 1 अक्टूबर 1956 को हुआ, उन्होंने बी.ई. सिविल (ऑनर्स) तथा बी.टैक (स्ट्रक्चर) तथा पीजीडीआईएम की डिग्री प्राप्त की और 25 जून 1998 को रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्त पर इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया तथा वर्ष 2002 में महाप्रबंधक के रुप में इरकॉन में ही आमेलित हो गए। 8 अगस्त 2003 से 31 जनवरी 2009 तक वे निदेशक (परियोजना) के पद पर रहे। उन्होंने रेल मंत्रालय के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो कोई भी पहले हो, राष्ट्रपति के आदेश से नियुक्त के आधार पर 1 फरवरी 2009 को प्रबंध निदेशक के पर पर आवधिक पद ग्रहण किया। उन्हें 5 मार्च 2013 को रेल मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में पुनः पदनामित किया गया। उन्हें समग्र रुप से 33 वर्षों से अधिक का अनुभव (भारतीय रेल तथा इरकॉन दोनों को मिला कर) प्राप्त है।

4.2 वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

(रुपये में)

क्रम सं0	स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1.	**डॉ. जी. वी. राव** (2012-13 में वर्षभर)	50,000	60,000	1,10,000
2.	**प्रा. (डॉ.) एस. एस.चटर्जी** (2012-13 में वर्षभर)	50,000	80,000	1,30,000
3.	**श्री बी. एम. शर्मा** (2012-13 में वर्षभर)	40,000	60,000	1,00,000

5. बोर्ड प्रक्रिया

5.1 निदेशक मंडल चार्टर

क) कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रुप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) अंशकालीन अध्यक्ष सहित अंशकालीन निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

5.2 वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल ने 26 अप्रैल 2012, 25 जुलाई 2012, 19 अक्टूबर, 2012, 04 दिसंबर, 2012 तथा 30 जनवरी 2013 को 5 बैठकों में भाग लिया।

ख) कंम्पनी अधिनियम की धारा 283 (1) (छ) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	2012-13 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यालकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
ए.पी. मिश्रा	5	5	हां
मोहन तिवारी	5	5	हां
के.के. गर्ग	5	5	हां
दीपक सबलोक	5	5	हां
हितेश खन्ना	5	5	हां
जी.वी. राव	5	5	नहीं
एस.एस. चटर्जी	5	5	नहीं
बी.एम. शर्मा	5	4	हां
डी.के. सराफ	5	3	नहीं

श्रीमती ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने 2012-13 में आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रंबधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं। ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा **संलग्नक "सी-1"** पर उपलब्ध है।

7. निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें

निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों शामिल हैं :-

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से-

   क) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन व इसके कारण।

   ख) वित्तीय विवरणों से संबधित सूचीकरण एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।

   ग) लेखांकन मानकों तथा निदेशक की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के अनुपालन से संबंधित मुद्दे।

   घ) संबंधित पक्षों के संव्यवहार।

   ड) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

6) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7) सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिस्थापन, आदि तथा लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अन्य अनुमेय सेवाओं के लिए शुल्क की स्वीकृति सहित उनके लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिशों की समीक्षा करना।

8) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एंव पारिश्रमिक की समीक्षा।

9) जोखिम आकलन तथा जोखिम कम करने, आदि के संबंध में जोखिम नीति और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्ष की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.1.2 संरचना व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखापरीक्षा समिति का गठन मूलत: 28.4.2000 को कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनस्थापना की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन अंतिम बार अक्टूबर 2011 में सभी शासित नियमों के पूर्ण अनुपालन में तीन स्वतंत्र निदेशकों के साथ हुआ था:

श्री बी.एम.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
डॉ जी.वी.राव, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
प्रॉ (डॉ) एस.एस.चतर्जी, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 26 अप्रैल, 2012, 24 जुलाई, 2012, 19 अक्टूबर, 2012, 04 दिसंबर, 2012 तथा 30 जनवरी, 2013 को लेखा परीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित हुईं।

उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री बी. एम. शर्मा	अध्यक्ष	5	5
एस. एस. चतर्जी	सदस्य	5	5
जी. वी. राव	सदस्य	5	5

श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित सभी बैठक में भाग लिया।

7.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है। श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) अनुपालन अधिकारी हैं। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा हस्तांतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कहा किया है कि"शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के प्राप्त न होने के संबंध में कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है", को इस समिति के सभी सदस्यों को परिपत्रित किया गया है।

पिछली बार समिति का पुनर्गठन जुलाई 2013 में किया गया था जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री के. के. गर्ग, निदेशक वित्त	-	सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	-	सदस्य

7.3 पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पे-पुल तथा कार्यपालकों व गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के खंड-5.1 का अनुसरण करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। जब किभी निदेशक पद में परिवर्तन होता है तो इसकी पुनर्संरचना की जाती है।

समिति की बैठक 18 अक्टूबर 2012 को वर्ष 2011 के लिए पीआरपी के भुगतान के संबंध में की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। श्रीमती ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव और महाप्रबंधन (विधि) पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं और इन्होंने इस बैठक में भाग लिया।

पिछली बार समिति का पुनर्गठन जुलाई 2013 में किया गया था जो निम्नानुसार है:

डॉ जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री बी. एम शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य

7.4 धारणीय विकास समिति

धारणीय विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा धारणीय विकास निष्पादन की निगरानी करने के लिए डीपीई धारीणीय विकास दिशानिर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसरण में धारणीय विकास समिति का गठन किया गया है।

समिति का गठन नवंबर 2011 में निम्नानुसार किया गया था:

प्रो (डॉ) एस. एस. चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य - सदस्य

वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की 3 बैठक आयोजित की गई थीं-

24 जुलाई 2012, 18 अक्टूबर 2012 और 30 जनवरी 2013.

सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
प्रॉ. डॉ एस. एस. चटर्जी	अध्यक्ष	3	3
श्री दीपक सभलोक	सदस्य	3	2
श्री हितेष खन्ना	सदस्य	3	3

श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) धारणीय विकास समिति की सचिव हैं और उनहोंने वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

7.4.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - धारणीय विकास (सीएसआर-एसडी) समिति

वर्ष के दौरान डीपीई ने सीएसआर तथा एसडी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं (सीएसआर और एसडी के लिए पृथक दिशानिर्देशों के स्थान पर) जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं।

एसडी समिति के स्थान पर अप्रैल 2013 में सीएसआर और धारणीय विकास के लिए एकीकृत निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है, ताकि कंपनी की सीएसआर और धारणीय नीति के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके और कंपनी के सीएसआर व धारणीयता एजंडा को वांछित दिशा में अग्रसर करने के लिए उपयुक्त नीतियां और ऋणनीतियां तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान किया जा सके।

सीएसआर-एसडी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रो (डॉ) एस. एस. चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री के. के. गर्ग, निदेशक वित्त - सदस्य

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य - सदस्य

सीएसआर-एसडी योजना और गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 27 अप्रैल 2013 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) सीएसआर-एसडी समिति की सचिव हैं और उनहोंने इस बैठक में भाग लिया। समिति की दूसरी बैठक 26 जुलाई 2013 को आयोजित की गई थी।

7.5 शेयर इश्यू समिति

कंपनी ने शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1956 के अनुसार शेयर इश्यू समिति का गठन किया है। पिछली बार समिति का पुनर्गठन मार्च 2013 में निम्नानुसार किया गया था:

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त - अध्यक्ष

श्री जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) शेयर इश्य समिति की सचिव हैं।

7.6 निवेशक समिति

आवश्यकता होने पर कंपनी की अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 के अनुसारण में निवेशक समिति का गठन किया था। पिछली बार कंपनी का पुनर्गठन निम्नानुसार नवंबर 2010 को किया गया था:

श्री मोहन तिवारी, प्रवंध निदेशक - अध्यक्ष

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त - सदस्य

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं थीं यथा 23 जुलाई 2012, 18 अक्टूबर 2012 तथा 23 नवम्बर 2012.

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
मोहन तिवारी	अध्यक्ष	3	3
के.के. गर्ग	सदस्य	3	3
दीपक सबलोक	सदस्य	3	1

श्रीमती ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि), निवेशक समिति की सचिव हैं और उन्होंने वर्ष 2012-13 में सभी बैठकों में भाग लिया।

8. सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

इरकॉन इंनफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमि लिमिटेड (आईआरएसडीसी) इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल भूमि विकास निगमि लि. के बीच एक संयुक्त उद्यम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है। इरकॉन आईएसएल तथा आईआरएसडीसी सूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान इरकॉन आईएसएल का टर्नओवर/नेट वर्थ इरकॉन (धारक कंपनी)के टर्नओवर या नेटवर्थ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, इरकॉन आईएसएल या आईआरएसडीसी ना तो सूचीकरण करार के अंतर्गत "सामग्रीगत सहायक कंपनी "है और ना ही डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक कंपनी ही है।

9. वार्षिक आम बैठक

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
2011-12	25 सितम्बर 2012	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2010-11	20 सितंबर 2011	12.30 बजे	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2009-10	22 सितम्बर 2010	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

9.2 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2009-10 से 2010-12 तक) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज से इरकॉन के इक्विटी शेयरों के विसूचीकरण के प्रस्ताव के लिए तथा संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 22 सितंबर 2010 की वार्षिक आम बैठक में यह घोषणा के आधार पर वर्ष 2010-11 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

9.3 आगामी वार्षिक आम बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि 15 मार्च 2012 से इरकॉन एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

10. प्रकटन

10.1 ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

10.2 कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीटयूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। लेखांकन मानकों से विपणन को "अनुपालन" शीर्ष के भाग के रुप में नोट सं 40 तथा 41 में दिए गए स्व-व्याख्यात्मक नोट में स्पष्ट किया गया है।

10.3 वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 37 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

10.4 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालयों व्ययों का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12	टिप्पणी
प्रशासनिक व्यय	**23.31**	19.70	
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	**10.87**	6.51	
कुल व्यय	**3453.42**	3179.78	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	**0.67**	0.62	प्रशासनिक और बैंकिंग प्रभारों के प्रतिशत में आंशिक वृद्धि मुख्य रुप से वर्ष के दौरान टर्नओवर और मुद्रा स्फीति में वृद्धि के कारण हुई।
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	**0.31**	0.20	

10.5 कम्पनी हर तिमाही में बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के सबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा "जोखिम तथा चिंता" शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

10.6 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जानसाजी का पता लगाने तथा निवारण के लिए एक नीति उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

10.7 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिव व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेत हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है। ये दोनों नीतियां इरकॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10.8 किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

10.9 कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक्यूटस या प्रस्ताव पत्र ही जारी किया है।

10.10 वर्ष के दौरान, इरकॉन ने 15 अक्टूबर 2012 को इरकॉन के तत्कालीन सदस्यों को 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू जारी किया है।

10.11 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

10.12 वर्ष 2011-12 के दौरान डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को उत्कृष्टता ग्रेड प्रदान किया है।

10.13 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2011-12 के लिए 100 में से 95 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के अनुबंध ग-2 पर संलग्न है)

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

क) वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने से पूर्व, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।

ख) वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है:

i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।

ii) नोडल अधिकारियों/सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।

iii) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।

घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में "इन्वेस्टर कार्नर" शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	:	03 सितम्बर, 2013
समय	:	शाम 5.00 बजे
स्थान	:	कम्पनी के सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

12.3 बही बंद करने की तारीखें

सदस्यों का रजिस्टर तथा स्थानांतरण बही 02.09.2013 तथा 03.09.2013 को बंद रहेगी।

12.4 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व सरकारी नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	1,97,42,400	99.729
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024
कुल	**1,97,96,000**	**100**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.5 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 14 से अधिक राज्यों तथा 5 अन्य देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां नियत्रण हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

12.6 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि),
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली-110017
टेलीफोन : 91-11-26545265/26530456
फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : lalitha.gupta@ircon.org
वेबसाईट: www.ircon.org

13. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

13.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए निदेशक स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि वह नए बोर्ड सदस्यों को उनकी नियुक्ति के पश्चात निदेशक मंडल की पहली बैठक में और कंपनी के वार्षिक लेखों पर विचार करते समय आवधिक रुप से प्रत्येक वर्ष कंपनी के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित परिणाम, समझोता ज्ञापन लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित निगमित योजना, ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद तथा निगमित शासन पर प्रायोगिक पुस्तिका, निदेशकों के अधिकार, भूमिका और उत्तरदायित्व।

13.2 वर्ष के दौरान इरकॉन के निदेशकों ने स्कोप, निदेशक संस्थान, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। पूर्णकालीन निदेशकों ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों और परियोजना जोखिम प्रबंधन में सक्षमता पर कंपनी द्वारा आयोजित दो इन-हाउस प्रशिक्षणों में भाग लिया।

14. **अनुपालन प्रमाणपत्र**

यह रिपोर्ट वर्ष 2012-13 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सवंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पेरेट शासन की शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक सी-3 पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2013

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

****

संलग्नक - "सी 1"

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.05.2013

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

****

संलग्नक - "सी 2"

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय विवरणों/वार्षिक लेखों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि खाते, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार की सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा नियमनों के अनुपालन में है।
3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
4. हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
5. हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
6. हमारी जानकारी में किसी बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.07. 2013

****

संलग्नक -"सी 3"

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024
टेली : 91-11-4162 5462
मोबाइल : 98734-26246
ई-मेल : m_bangia@hotmail.com

डीपीई के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है कि :

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एंव दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं, कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते **एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26.07. 2013

****

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

संस्थान/प्राधिकरण से	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया) "उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार" अग्रणीय कम्पनी अंतरराष्ट्रीय रेल एवं सड़क निर्माण कंपनी के रुप में निष्पादन	1983, 1984 1991 तथा 1993* 1988
ईईपीसी इंडिया पूर्व में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 24 पुरस्कार)	i. निर्यात में उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड ii. क्षेत्रीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियर संविदाकर्ता iii. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड iv. अधिकतम निर्यातों के लिए अखिल भारतीय ट्रॉफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर - एसएसआई v. "शीर्ष निर्यातकों" की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के लिए अखिल भारतीय शील्ड vi. परियोजना निर्यात के क्षेत्र में बड़े उद्यमी के रुप में उत्कृष्ट निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड vii. इंजीनियरिंग निर्यात में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यम स्तर के उद्यमों में सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों के लिए रजत ट्रॉफी viii. "मर्चेंट निर्यातकों के रुप में शीर्ष निर्यातकों" की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों के लिए स्वर्ण ट्रॉफी ix. अखिल भारतीय निर्यातक पुरस्कार x. वर्ष 2010-11 के लिए शीर्ष निर्यातक की श्रेणी में रजत ट्रॉफी xi. वर्ष 2011-12 के लिए शीर्ष निर्यातक की श्रेणी में रजत ट्रॉफी	1986 से 1993 1995 तथा 1996 1994, 1997 1997 1998 1999 से 2002 2004 तथा 2007 2005 2006 2008 2009 2011 2013
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् (पीईपासी) (पूर्वतः भारतीय समुद्रपार निर्यात परिषद) (ओसीसीआई) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 45 पुरस्कार)	i. विदेशों में निर्माण ठेकों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन ii. विदेशों में निर्माण ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन iii. विदेशों में निर्माण परियोजनाओं से सर्वाधिक टर्नओवर iv. विदेशी परियोजनाओं से लाभ अर्जन में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निष्पादन	1985, 1989 से 1993, 1995 1997, 2000 2002 तथा 2004 1994, 2001 2003 तथा 2005 1985 से 1989 1992 से 1994, 1996, 1999 2001 तथा 2002 1990, 1991 1995 तथा 2000

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

	v. निर्माण ठेकों के नए क्षेत्रों में सर्वाधिक विदेशी निर्माण कार्य प्राप्त करने हेतु	1995, 1996, 2000 तथा 2001
	vi. सर्वाधिक विदेशी व्यपार के प्रयास	1995 से 1998, 2002 तथा 2004
	vii. विदेशों में सेवा ठेकों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	2001 तथा 2003
	viii. विदेशों में निर्माण व इंजीनियरिंग ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यार्वतन	2006 तथा 2007
कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड	"भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट निर्माण कंपनियों में से एक"	2009
एस्सार स्टील एवं ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेलवे श्रेणी में "अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार"	2009
दैनिक भास्कर तथा डेली न्यूज़ एंड एनलाइसिस (डीएनए) द्वारा संस्थापित "इंडिया प्राइड अवार्ड"	परिवहन संबंधी सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्रॉफी	2010
	अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्रॉफी	2011
निर्माण उद्योग विकास परिसद (सीआईडीसी)	टर्नओवर सहित उत्कृष्ट रुप से व्यावसायिक प्रबंधन की श्रेणी में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार	2012
डन एंड ब्रेडस्ट्रीट	इंजीनियरिंग तथा निर्माण में भारत का शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम पुरस्कार	2012
इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइज	इरकॉन के प्रबंध निदेशक को "सीईओ विद एचआर ओरिएन्टेशन अवार्ड" मिला।	2013

इरकॉन की वित्तीय विशेषताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
1	आपरेटिंग आय	4,232	3,601	3,182	3,153	2,654	1,968	1,475	1,058	964	748
2	अन्य आय	249	181	72	64	85	81	68	55	50	44
3	कुल आय	4,481	3,782	3,254	3,217	2,739	2,049	1,543	1,113	1,014	792
4	व्यय (स्टाक में कमी/वृद्धि सहित)	3,423	3,123	2,816	2,912	2,507	1,848	1,408	982	892	701
5	प्रचालन मार्जिन	1,058	659	438	305	232	201	135	131	122	91
6	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मूल्यह्रास	43	57	37	41	44	41	24	20	14	12
8	कर पूर्व लाभ	1,015	602	401	264	188	160	111	111	108	79
9	कर पश्चात् लाभ	730	470	241	182	140	114	76	81	89	62
10	लाभांश	148	94	49	37	30	30	26	26	20	19
11	सामान्य आरक्षित निधि	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012	903	824	768	721	647
12	विदेशी परियोजना निधि	-	-	-	3	28	30	33	44	45	58
13	अन्य आरक्षित निधि	3	-	-	5	25	6	7	7	7	2
14	आरक्षित तथा सरपल्स	2,280	1,733	1,372	1,189	1,065	939	864	819	773	707
15	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	180	196	244	236	260	279	260	160	136	123
16	माल सूचियाँ	125	135	165	373	430	159	89	42	41	59
17	विदेशी मुद्रा आय	887	444	428	264	96	37	51	56	73	114
18	शेयर पूंजी	20	10	10	10	10	10	10	10	5	5
19	प्रयुक्त पूंजी	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078	951	876	830	778	712
20	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	निवल सम्पत्ति	2,300	1,743	1,382	1,199	1,075	949	874	829	778	712
22	प्रयुक्त पुंजी पर कर पूर्व लाभ	44	35	29	22	17	17	13	13	14	11
23	प्रयुक्त पुंजी पर प्रचालन मार्जिन	46	38	32	25	22	21	15	16	16	13
24	शेयर पुंजी पर कर पश्चात लाभ	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416	1,150	765	815	1,795	1,245
25	आय पर व्यय	76	83	87	91	92	90	91	88	88	89
26	कर्मचारियों की संख्या	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964	1,978	1,830	1,723	1,652	1,609
27	प्रति कर्मचारी आय	2.63	2.22	1.94	1.84	1.40	1.04	0.84	0.65	0.61	0.49
28	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.52	0.26	0.25	0.15	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.07
29	वर्तमान अनुपात	1.61	1.47	1.53	1.31	1.24	1.21	1.25	1.41	1.54	1.79
30	ऋण/इक्विटी अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	निवेश	295	208	185	130	234	246	234	213	200	122

वार्षिक लेखा
2012–13

तुलन पत्र

31 मार्च 2013 को

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	19.80		9.90	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	2,280.57	2,300.37	1,733.04	1,742.94
2	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) दीर्घकालीन ऋण	4	397.32		271.46	
	(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	420.10	817.42	415.74	687.20
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	6	633.40		529.91	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	1,890.01		1,868.18	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	692.22		470.70	
	(घ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		7.24	3,222.87	13.78	2,882.57
	कुल			6,340.66		5,312.71
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) नियत परिसंत्तियां	9				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		177.93		193.44	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		0.01	
	(iii) प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां	10	0.80		0.25	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	0.88		2.40	
	(v) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		0.02		0.01	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	230.34		195.79	
	(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	13	268.98		189.38	
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	393.06		317.34	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	82.16	1,154.17	81.56	980.18
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	16	64.95		12.51	
	(ख) दरसूचियां	17	124.56		134.51	
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	1,098.78		846.60	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	3,103.23		2,601.19	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	527.12		450.27	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	243.32		252.65	
	(छ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		24.53	5,186.49	34.80	4,332.53
	कुल			6,340.66		5,312.71
				-		-
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	2-48				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता
साझेदार
सं.स 16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव एवं म.प्र.(विधि)

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

लाभ और हानि विवरण
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	2012-13	2011-12
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	22	**4,218.82**	3,577.97
	संयक्त रुप से नियंत्रित निकायों में निर्माण			
	राजस्व में आनुपातिक शेयर		**12.96**	23.44
	अन्य आय	23	**249.44**	180.51
	कुल राजस्व		**4,481.22**	**3,781.92**
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		**3,073.25**	2,656.82
	- प्रशासनिक व्यय		**23.31**	19.70
	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	**197.61**	158.31
	वित्तीय लागतें	26	**10.87**	6.51
	मूल्यहृास एवं परिशोधन व्यय	9	**42.96**	56.84
	प्रावधान (निवल)	27	**101.95**	249.14
	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों मे व्यय			
	का आनुपातिक शेयर		**11.59**	20.97
	पूर्व अवधि समायोजन	28	**4.95**	11.49
	कुल व्यय		**3,466.49**	**3,179.78**
III.	**कर से पूर्व लाभ (I - II)**		**1,014.73**	602.14
IV.	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		**302.00**	221.28
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**62.34**	(30.74)
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	**(79.60)**	(58.32)
	कुल कर व्यय		**284.74**	132.22
V.	**वर्ष के लिए लाभ (III- IV)**		**729.99**	**469.92**
VI.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (रु.में)	47	**505.72**	474.76
VII.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
VIII.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-48		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता	**ललिता गुप्ता**	**के.के.गर्ग**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कंपनी सचिव एवं म.प्र.(विधि)	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सं.स 16020			

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		2012-13	2011-12
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		1,019.68	613.63
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास		44.23	56.84
निवेश की किश्तों पर छूट		0.36	0.36
निवेश में हानिकरण		-	5.53
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(3.04)	(8.39)
ब्याज आय		(206.67)	(153.95)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		101.95	249.14
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(13.07)	15.95
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	941.44	779.11
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		(122.08)	420.29
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		9.95	30.41
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		59.55	(47.36)
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		103.49	78.06
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		(132.98)	(571.61)
जेसीई चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		10.27	11.49
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(6.54)	(20.92)
	(2)	(78.34)	(99.64)
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	863.10	679.47
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		(4.95)	(11.49)
प्रदत्त आयकर		(282.67)	(76.26)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	(क)	575.48	591.72
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(30.24)	(15.42)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		5.54	13.09
प्राप्त ब्याज		157.85	109.03
इक्विटी और बांडों में निवेश		(87.35)	(28.82)
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		(0.01)	1.79
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)	45.79	79.67
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(132.30)	(62.06)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	(132.30)	- (62.06)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	13.07	(15.95)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	502.04	593.38
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	2,601.19	2,007.81
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)	3,103.23	2,601.19
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(छ-ज)	502.04	593.38

नोट:
1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. ईएमडी क प्रति ठेकदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में 19.29 करोड़ रु. (12.32 करोड़ रु.) की मार्जिन मनी शामिल हैं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 470.40 करोड़ रु. (541.02 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार | **निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता
साझेदार
सं.स 16020

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म.प्र.(विधि)

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।

2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ज़िन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर किया जाता है।

4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को क्रय दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयाग प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर करके परिवतिर्त की जाती हैं।

5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया

जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में पारिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा अनर्जन घाटों, यदि कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

(v) निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, जो निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लेखित किया जाता है।

(vi) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के परिणाम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(viii) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजना के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(ix) संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्वति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्वति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

(x) संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

(क) संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) पट्टे

(क) प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(ख) प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा। संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xvi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ख) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों तथा निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ग) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपए तक की साफ्टवेयर लागत को क्रय के वर्ष में पूर्णत मूल्यहास किया जाएगा।

घ) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ड) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

(xvi) उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xvii) सेवानिवृति लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ख) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्‌भवन आधार पर किया गया है।

ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xviii) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

क) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xix) कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xx) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्‌टे पर देने और इसके प्रचालनों पट्‌टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को	31मार्च 2012 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.	25.00	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
1,97,96,000 (98,98,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त	19.80	9.90
कुल	19.80	9.90

i) धारित शेयरों का वितरण:

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	19,742,400	99.729%	9,871,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247%	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024%	2,400	0.024%
कुल	19,796,000	100%	98,98,000	100%

ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बोनस शेयर : 1:1 के अनुपात में 15 अक्टूबर 2012 को बोनस शेयर जारी किए गए (पिछले वर्ष शून्य)।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें और अधिकार :

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
क. सामान्य आरक्षित निधियां				
अधिशेष	1,733.04		1,372.41	
जोड़ें : लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित (नीचे- ग का संदर्भ लें)	554.53		360.63	
घटा : बोनस शेयरों को जारी करने के लिए प्रयुक्त	9.90	2,277.67	-	1,733.04
ख. सीएसआर गतिविधि आरक्षित आरक्षित निधि $				
लाभ हानि खाते से अंतरण	2.90	2.90	-	
			-	-
ग. लाभ और हानि विवरण में अतिरेक				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ	729.99		469.92	
घटा: विनियोजन				
- सीएसआर गतिविथि आरक्षित निधि में अंतरण	2.90		-	
- अंतरिम लाभांश	49.49		29.69	
(प्रति शेयर लाभांश रु. 25/- (रु. 30/-*)				
- प्रस्तावित लाभांश	98.98		64.34	
(प्रतिशेयर लाभांश 50/- (रु. 65/-*)				
- अंतरिम लाभांश पर कर	8.03		4.82	
- प्रस्तावित लाभांश पर कर	16.06		10.44	
- सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	554.53	-	360.63	-
कुल		2,280.57		1,733.04

* पिछले वर्ष लाभांश बोनस-पूर्व इक्विटी शेयरों पर था।

$ वर्ष के लिए अव्यय राशि हेतु लाभ के विनियोजन के रूप में 2.90 करोड़ रुपए के सीएसआर आरक्षित निधि का सृजन किया गया है। पिछले वर्ष 3.34 कराड़ रुपए की अव्यय राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया था।

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
(क) व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 46 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य	33.51	5.37
(ख) अन्य देयताएं		
- ग्राहकों से अग्रिम (i)	236.04	151.86
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा (ii)	127.77	114.23
कुल	397.32	271.46

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - **रु. 9.35 करोड़** (रु. 5.57 करोड़)

(ii) ठेकेदारों से सावधि जमा राशियों/प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि सहित **रु. 14.70 करोड़** (रु. 22.04 करोड़)।

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
(क) "कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 44 का संदर्भ लें)"				
i) उपदान	50.61		46.77	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	58.50		52.44	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.31		1.45	
iv) पेंशन	17.88		12.80	
v) यात्रा छुट्टी रियायत	0.05	128.35	-	113.46
(ख) अन्य प्रावधान:				
i) विसंग्रहण के लिए	4.97		18.12	
ii) अनुरक्षण के लिए	46.87		63.89	
iii) भावी आकस्मिकताओं के लिए	-		4.29	
iv) डिजाईन गारंटी	221.86		183.34	
v) अन्य व्यय	18.05	291.75	32.64	302.28
कुल		420.10		415.74

6 व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 46 का संदर्भ लें)	**-**	-
- अन्य		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	**624.03**	518.05
(ख) संबंधित पक्ष	**9.37**	11.86
कुल	**633.40**	**529.91**

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां	**530.86**	590.02
(ख) ग्राहकों से अग्रिम राशियां (i तथा ii)	**776.21**	927.07
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि (iii)	**367.66**	301.34
(घ) सांविधिक देय राशियां	**183.86**	22.58
(ङ) स्टाफ	**16.19**	14.16
(च) अन्य (iv)	**15.23**	13.01
कुल	**1,890.01**	**1,868.18**

i ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - **रु. 34.09 करोड़** (रु. 103.33 करोड़)

ii इरकॉन इंटरनेशनल एंड सर्विसिज लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से अग्रिम के रुप में **रु. 0.79 करोड़** (रु. 0.39 करोड़) शामिल हैं।

iii ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा अग्रिम राशियों सहित **रु. 19.46 करोड़** (रु. 12.23 करोड़)।

iv बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 का			31 मार्च 2012 का		
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 44 का संदर्भ लें)						
i) उपदान		3.26			2.86	
ii) छुट्टी वेतन के लिए		6.20			5.15	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		0.11			0.13	
iv) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		9.36			-	
v) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		11.44			12.11	
vi) छुट्टी यात्रा रियायत		0.03	30.40		-	20.25
(ख) अन्य प्रावधान:						
i) विसंग्रहण के लिए		32.27			10.03	
ii) अनुरक्षण के लिए		94.99			19.77	
iii) भावी आकस्मिकताएं		7.25			13.21	
iv) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-			3.34	
v) न्यायिक मामले		64.52			59.79	
vi) अन्य व्यय		25.66			41.39	
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	819.74			444.06		
घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	(497.65)	322.09		(215.92)	228.14	
viii) लाभांश (प्रस्तावित)		98.98			64.34	
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		16.06	661.82		10.44	450.45
कुल			692.22			470.70

9 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तियाँ	बिक्री/ समायोजन				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2012 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.3.2013 को	31.3.2012 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.2013 तक	31.03.2013 को	31.03.2012 को
अ	मूर्त परिसंपत्तियां										
	स्वामित्व भूमि	3.45	-	(0.03)	3.42	-	-	-	-	3.42	3.45
	पट्टे की भूमि (vi)	36.40	-	(0.01)	36.39	0.16	0.01	-	0.17	36.22	36.24
	पट्टे के भवन (iii)	40.22	2.22	-	42.44	4.35	0.77	-	5.12	37.32	35.87
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	9.30	2.38	0.15	-	2.53	6.77	6.92
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय	10.64	-	-	10.64	1.34	0.19	-	1.53	9.11	9.30
	संयंत्र और मशीनरी (i व v)	348.10	24.26	(27.29)	345.07	252.40	37.21	(24.98)	264.63	80.44	95.70
	सर्वेक्षण संयंत्र	3.53	0.27	(0.12)	3.68	3.16	0.33	(0.12)	3.37	0.31	0.37
	कम्प्यूटर	8.35	0.65	(0.54)	8.46	7.47	0.70	(0.52)	7.65	0.81	0.88
	मोबाईल हैंडसेट	0.25	0.05	(0.06)	0.24	0.21	0.05	(0.06)	0.20	0.04	0.04
	कार्यालय उपस्कर	6.92	0.79	(0.54)	7.17	5.87	0.81	(0.54)	6.14	1.03	1.05
	फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग	7.68	0.62	(0.29)	8.01	6.86	0.78	(0.28)	7.36	0.65	0.82
	कैरावन, कैम्प और अस्थायी शैड	6.37	2.01	(2.12)	6.26	6.33	2.03	(2.11)	6.25	0.01	0.04
	वाहन (V)	16.08	0.30	(1.75)	14.63	13.32	1.16	(1.65)	12.83	1.80	2.76
	चालू वर्ष का जोड़	**497.29**	**31.17**	**(32.75)**	**495.71**	**303.85**	**44.19**	**(30.26)**	**317.78**	**177.93**	**193.44**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	516.25	14.54	(33.51)	497.29	276.38	56.28	(28.81)	303.85	193.44	239.86
ब	अमूर्त परिसंपत्तियां										
	सॉफ्टवेयर	1.68	0.04	(0.01)	1.71	1.67	0.04	-	1.71	-	0.01
	चालू वर्ष का जोड़	**1.68**	**0.04**	**(0.01)**	**1.71**	**1.67**	**0.04**	**-**	**1.71**	**-**	**0.01**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	1.68	-	-	1.68	1.11	0.56	-	1.67	0.01	0.57
	चालू वर्ष का सकल योग	**496.97**	**31.21**	**(32.76)**	**497.42**	**305.52**	**44.23**	**(30.26)**	**319.49**	**177.93**	**193.45**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	517.93	14.54	(33.51)	496.97	277.49	56.84	(28.81)	305.52	193.45	240.43

i) अल्प पट्टा व स्टैंडबाय पर इंजन सहित

ii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
लाभ और खाता		
चालू	42.96	56.84
पिछली अवधि	1.27	-
कुल	44.23	56.84

iii) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

iv) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.80 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

v) मितव्ययी रुप से मरम्मत न की जा सकने वाली नियत परिसंपत्तियां जिन्हें निपटान क लिए अलग रखा गया है, उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम से निकाल कर अन्य चालू परिसंपत्तियों में अंतरित किया गा है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	मार्च 2013 को		मार्च 2012 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	13.40	1.20	3.30	0.01
वाहन			2.06	-
कुल	13.40	1.20	5.36	0.01

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
- एसएपी का क्रियान्वयन		
अधिशेष	0.25	-
वर्ष के दौरान जोड़	0.55	0.25
कुल	0.80	0.25

11 पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
अधिशेष	2.40	1.77
वर्ष के दौरान जमा		
- कार्य संबंधी व्यय	0.82	0.63
घटा: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	2.34	-
कुल	0.88	2.40

12 गैर-चालू निवेश

विवरण	31मार्च 2013				31मार्च 2012			
	संख्या	राशि (करोड़ में)			संख्या	राशि (करोड़ में)		
क व्यापार निवेश (लागत पर)								
कोट न किए गए								
पूर्णत् प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश								
एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में								
सी.सी. एफ. बी. मोजांबिक मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शेयर (1)	12,50,000	5.53			12,50,000	5.53		
घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान		5.53	-			5.53	-	
(नोट सं 40 का संदर्भ लें)								
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) (ii क तथा ख) 10 रु. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर	6,38,70,000		63.87		6,38,70,000		63.87	-
सहायक कंपनियों में								
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिस लि. 10 रु. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 49,00,000 इक्विटी शेयर	4,00,00,000		40.00		49,00,000		4.90	
भारतीय रेलवे स्टेशन निगम लिमिटेड 10 रुपए प्रत्येक के 1,02,00,000 इक्विटी शेयर	1,02,00,000		10.20				-	
कुल (क)				114.07				68.77
ख अन्य निवेश (लागत पर)								
कोट किए गए								
बांडों में निवेश								
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनांस कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त बांड		-			6,000	61.07		
घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		-	-			0.36	60.71	
6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	5,000		50.00		5,000		50.00	
8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	163,131		16.31		163,131		16.31	
7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	500		49.96				-	
कुल (ख)				116.27				127.02
कुल				230.34				195.79

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग -खाता मूल्य		114.07	68.77
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	116.27	127.02
	- बाजार मूल्य	115.11	123.84

i) मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है।

ii) (क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2013 को बकाया देय राशि 494.96 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरित) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजान नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2012 को	वर्ष के दौरानयोग (लोप)	31 मार्च 2013 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	16.74	32.20	**48.94**
- भावी हानियां	5.68	(3.22)	**2.46**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	34.21	(0.52)	**33.69**
- उपदान के लिए	16.10	2.21	**18.31**
- छुट्टी यात्रा रियायत	-	0.03	**0.03**
- विधिक मामलों के लिए	19.40	2.53	**21.93**
- अभिकल्प गारंटी	45.84	29.57	**75.41**
- अन्य खर्चे	24.98	(10.12)	**14.86**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.02	(0.01)	**0.01**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	27.04	13.84	**40.88**
	190.01	66.51	**256.52**
देयता			
मूल्यह्रास	0.63	(13.09)	**(12.46)**
	0.63	(13.09)	**(12.46)**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	**189.38**	**79.60**	**268.98**
पिछले वर्ष	131.06	58.32	189.38

14 दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.73		1.84	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	-		0.27	
		1.73		2.11
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	0.61		0.30	
- ग्राहक	21.07		21.97	
- अन्य	4.88	26.56	4.94	27.21
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उद्यम				
-सीसीएफबी (नोट सं 41 का संदभ लें)	58.96		56.83	
सहायक कंपनियां				
-इरकॉन आईएसएल	34.01	92.97	50.92	107.75
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.26		1.23	
सरकारी विभागों में जमा	0.13		0.15	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	102.24		15.38	
ग्राहकों से वसूलनीय	-		0.01	
आयकर, टीडीएस सहित	166.53		162.48	
पूर्व भुगतान व्यय	1.64	271.80	1.02	180.27
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
सहायक उद्यम				
- सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	29.86		36.41	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-		0.03	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.48		6.42	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	0.02		0.02	
	38.36		42.88	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	38.36	-	42.88	-
कुल		393.06		317.34

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, ₹ **शून्य** (₹ शून्य) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**0.96**		1.11
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक की सावधि जमा राशियां (i)		**14.70**		22.04
निम्नलिखित पर संचित ब्याजः				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.31**		0.24	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**33.96**		25.74	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	**0.41**		0.61	
- आस्थगित देय (40(ख) का संदर्भ लें)	**31.82**	**66.50**	31.82	58.41
ग. संदिग्ध समझे गए				
निम्न पर अर्जित ब्याज :				
- संबंधित पक्ष-संयुक्त उपक्रम-सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	**0.19**		0.19	
- स्टाफ को अग्रिम	**-**		0.03	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**0.40**		0.40	
	0.59		0.62	
घटा: संदिग्ध के लिए प्रावधान	**0.59**	**-**	0.62	-
कुल		**82.16**		81.56

i) ईडीएम के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त **14.70 करोड़ रु.** (22.04 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **₹शून्य** (₹ शून्य) है।

16 चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
क म्यूचुवल फंड में निवेश				
कोट किया गया				
म्यूचुवल फंड				
यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना (i)	45,156	4.60	122,740	12.51
ख बांड				
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त				
भारतीय अवसंरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	6,000	60.71	-	
घटा : निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का विनियोजन		0.36 60.35		-
कुल		64.95		12.51

कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :	**(₹ करोड़ में)**	(₹ करोड़ में)
कोट किए गए निवेश का योग - बुक मूल्य वैल्य	64.95	12.51
- बाजार मूल्य	63.88	12.51

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	37.22		65.84	
- तृतीय पक्षों के पास	1.06		1.90	
- मार्गस्थ	0.37		0.22	
		38.65		67.96
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		85.91		66.55
कुल		124.56		134.51

18 व्यापार प्राप्य *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवाधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	159.97		45.04	
- संदिग्ध समझे गए वे प्रवधान किया गया	21.03	181.00	36.19	81.23
अन्य व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य	938.81		801.56	
- संदिग्ध समझे गए वे प्रवधान किया गया	0.58	939.39	0.12	801.68
		1,120.39		882.91
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		21.61		36.31
कुल		1,098.78		846.60

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **₹ शून्य** (₹ शून्य) है।

* सहायक कंपनियों को देय राशि शामिल है : (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2013	31.03.2012
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवाधि के बकाया ऋण	1.58	-
अन्य व्यापार प्राप्य	5.10	6.54
कुल	6.68	6.54

19 रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य				
क) हाथ रोकड़ (i)		0.24		0.46
ख) हाथ में चैक/ड्राफ्ट		0.02		0.15
ग) बैंकों में शेष				
चालू खातों में	124.39		494.25	
फ्लैक्सी खातों में (ii)	194.55		117.14	
जमा खातों में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii) और (iii)	1,243.74	1,562.68	649.02	1260.41
घ) पारगमन में प्रेषण		4.19		-
अन्य बैंकों में शेष				
जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)		1,516.64		1327.85
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा		19.46		12.32
कुल		3,103.23		2,601.19

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ **0.02 करोड़ रुपए** (0.06 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष क अंत में शेष	
	31.03.2013	31.03.2012
फ्लैक्सी खाते में	72.55	-
फ्लैक्सी खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	470.00	289.02
फ्लैक्सी खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	0.40	225.00
कुल	542.95	514.02

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.70		0.72	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	31.53	32.23	57.33	58.05
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	7.08		4.55	
- ग्राहकों से	90.65		56.69	
- अन्य	0.61	98.34	0.56	61.80
निम्न से वसूलनीय राशियां:				
संयुक्त उद्यम				
- रिकॉन सीईटीए एसएआरएल	1.10		3.89	
- सीसीएफबी	0.67		0.60	
- इरकॉन-आरसीएस-पिफडरर	-		0.01	
सहायक कंपनियां				
-इरकॉन आईएसएल	1.95		0.15	
-आईआरएसडीसी	-	3.72	-	4.65
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	2.39		3.25	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	93.97		126.55	
सरकारी विभागों से जमा	-		-	
ग्राहकों क पास धारित राशि	72.46		76.62	
टीडीएस - बिक्री कर	118.06		24.66	
मूल्य संवर्धित कर	84.66		66.76	
सेवाकर इनपुन ऋण	1.07		0.92	
आयकर (टीडीएस सहित)	11.01		10.07	
पूर्वप्रदत्त व्यय	5.39		7.87	
अन्य	3.82	392.83	9.07	325.77
ग. संदिग्ध समझे गए				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.01		-	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	8.62		6.87	
सरकारी विभागों से जमा	2.25		3.45	
प्रतिधारण राशि सहित जमा	16.93		15.41	
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	10.73		-	
	38.54		25.73	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	38.54	-	25.73	-
कुल		527.12		450.27

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर,₹ **शून्य**(₹ शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का विवरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.03	0.05
	0.03	0.05

21 अन्य चालू परिसम्पतियाँ *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:		
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)	0.16	0.15
बांड	3.41	1.70
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)	0.09	0.08
त्रण हेतु		
- भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	0.20	0.20
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लि.	7.82	4.42
निम्न पर जमा व अग्रिम :		
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	0.53	0.54
- बैंकों में जमा राशि	94.04	56.28
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	135.87	189.27
ग) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति (i)	1.20	0.01
कुल	243.32	252.65

(i) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूली योग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	13.40	1.20	3.30	0.01
वाहन			2.06	-
कुल	13.40	1.20	5.36	0.01

* ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ₹ **शून्य** (₹शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है निम्नानुसार को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.003	0.01
	0.003	0.01

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
ठेका राजस्व	4,171.92	3,539.87
लोको पट्टा	35.60	31.63
मशीन किराया प्रभार	0.08	0.38
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	11.22	6.09
कुल	4,218.82	3,577.97

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		9.66		7.48
बैंक ब्याज - सकल	235.35		169.03	
घटाः ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	48.37	186.98	34.87	134.16
वापस आए आयकर पर ब्याज		7.51		6.31
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		0.41		0.37
इरकॉन आईएसएल के ऋण पर ब्याज		8.69		4.91
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		4.11		5.63
विनिमय उच्चावचन लाभ	27.53		-	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	14.46	13.07	-	-
लाभांश आय	3.05		0.41	
घटा :ग्राहकों को दिया गया लाभांश	0.76	2.29	-	0.41
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		3.44		8.45
विविध		13.28		12.79
कुल		249.44		180.51

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
	2012-13		2011-12		2012-13	2011-12
प्रयुक्त सामग्रियां तथा भंडारण						
आरंभिक शेष	67.75		62.45		-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	392.39		455.49		-	-
	460.14		517.94		-	-
घटा: अंतिम शेष	38.28	421.86	67.75	450.19	-	-
कार्यगत व्यय		2,360.51		1,973.95	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		(19.37)		21.92	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		102.36		67.73	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		3.69		3.46	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		30.62		18.38	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		9.41		5.72	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि	-		51.20		-	-
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	-		35.25		-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-		15.95	-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (III) का संदर्भ लें)		4.30		4.23	0.15	0.20
दर एवं कर		135.69		55.85	0.36	0.83
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		14.19		15.64	0.78	0.69
मरम्मत और रखरखाव						
- भवन		0.26		0.25	0.38	0.51
- कार्यालय तथा अन्य		3.17		3.20	3.17	2.33
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		3.81		3.57	1.45	1.04
बीमा		10.17		9.83	0.18	0.12
यात्रा और वाहन		9.96		10.09	1.54	1.53
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.96		2.00	0.98	0.64
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		2.55		2.49	0.50	0.52
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		2.59		3.97	3.69	1.70
सुरक्षा सेवाएं		3.16		3.43	0.16	0.18
व्यवसाय संवर्धन		1.12		1.11	0.11	0.09
बट्टा खाता:						
भवन		0.10		-	-	-
कार्यालय और अन्य		0.60		0.23	-	-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-		-	0.40	0.06
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-		-	0.36	0.36
निदेशकों की फीस		-		-	0.03	0.02
चंदा		-		-	-	0.15
लेखापरीक्षकों की फीस (i)		-		-	0.77	0.76
विज्ञापन और प्रचार		-		-	3.30	4.51
प्रशिक्षण और भर्ती		-		-	0.60	0.29
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-			2.42	0.05
धारणीय विकास					0.90	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-		-	9.84	2.25
विविध व्यय		2.46		2.66	1.08	0.87
घटा:-उपयोग किए गए प्रावधान (ii)		(31.92)		(19.03)	(9.84)	-
कुल		3,073.25		2,656.82	23.31	19.70

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

	2012-13	2011-12
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.20	0.24
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.06	0.07
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.08	0.07
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.35	0.32
- विदेशी	0.08	0.06
कुल	0.77	0.76

(ii) ब्यौरा नोट सं. 27 पर उपलब्ध है।

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
	प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i) (नोट 33(III) का संदर्भ लें)	118.22	32.62	98.57	31.45
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान	6.19	2.52	7.70	2.10
विदेश सेवा अंशदान	0.75	0.39	0.27	0.43
सेवानिवृत्ति लाभ	10.62	23.62	10.47	4.39
कर्मचारी कल्याण	2.24	0.44	2.48	0.45
उप कुल	138.02	59.59	119.49	38.82
कुल	197.61		158.31	

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है **0.23 करोड़ रुपए** (0.21 करोड़ रुपए)

26 वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
ब्याज व्यय	0.08	-
अन्य उधार लागत		
- बैंक तथा अन्य प्रभार	10.79	6.51
कुल	10.87	6.51

27 प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-4-2012 को शेष			वर्ष 2012-13 के दौरान			31-3-2013 को शेष		
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	जमा	बट्टा,खाता	उपयोग	कुल	दीर्घकालीन	अल्पकालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) सेवानिवृत्ति लाभों									
उपदान	46.77	2.86	49.63	7.75	-	3.51	53.87	50.61	3.26
छुट्टी वेतन के लिए	52.44	5.15	57.59	11.29	0.08	4.10	64.70	58.50	6.20
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.45	0.13	1.58	-	0.16	-	1.42	1.31	0.11
सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ			-	9.36	-	-	9.36	-	9.36
पेंशन	12.80	-	12.80	5.08	-	-	17.88	17.88	-
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	113.46	8.14	121.60	33.48	0.24	7.61	147.23	128.30	18.93
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (ii)	-	12.11	12.11	10.30	-	10.97	11.44	-	11.44
छुट्टी यात्रा रियायत			-	0.08	-	-	0.08	0.05	0.03
अन्य लाभों का योग (ii)	-	12.11	12.11	10.38	-	10.97	11.52	0.05	11.47
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	113.46	20.25	133.71	43.86	0.24	18.58	158.75	128.35	30.40
ख अन्य									
विसंग्रहण के लिए	18.12	10.03	28.15	9.66	-	0.57	37.24	4.97	32.27
अनुरक्षण के लिए	63.89	19.77	83.66	71.75	7.13	6.42	141.86	46.87	94.99
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	4.29	13.21	17.50	6.81	3.61	13.45	7.25	-	7.25
अभिकल्प गारंटी	183.34	-	183.34	38.52	-	-	221.86	221.86	-
संदिग्ध ऋण के लिए	-	36.31	36.31	3.71	18.32	0.09	21.61	-	21.61
संदिग्ध अग्रिम के लिए	43.50	25.73	69.23	20.43	12.10	0.07	77.49	38.95	38.54
निवेश की हानि	5.53	-	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	-	3.34	3.34	6.50	-	9.84	-	-	-
देयताएं (विधि मामले)	-	59.79	59.79	5.98	0.67	0.58	64.52	-	64.52
अन्य व्यय	32.64	41.39	74.03	5.43	25.01	10.74	43.71	18.05	25.66
आयकर और संपत्ति कर	-	444.06	444.06	391.25	13.87	1.71	819.73	-	819.73
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	64.34	64.34	148.47	-	113.83	98.98	-	98.98
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	10.43	10.43	24.09	-	18.46	16.06	-	16.06
कुल अन्य प्रावधान (ख)	351.31	728.40	1,079.71	732.60	80.71	175.76	1,555.84	336.23	1,219.61
सकल योग (ग = क+ख)	464.77	748.65	1,213.42	776.46	80.95	194.34	1,714.59	464.58	1,250.01
घ घटा: अलग से विचार किए गए									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	36.31	36.31				21.61	-	21.61
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	43.50	25.73	69.23				77.49	38.95	38.54
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	5.53	-	5.53				5.53	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				33.48	0.24	7.61			
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				10.38	-	10.97			
समायोजित/पृथक विचारित आयकर				391.25	13.87	1.71			
भुगतान किए गए /पृथक रूप से विचारित लाभांश				148.47	-	113.83			
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				24.09	-	18.46			
कुल (घ)	49.03	62.04	111.07	607.67	14.11	152.58	104.63	44.48	60.15
निवल: चालू वर्ष (ग -घ)	415.74	686.61	1,102.35	168.79	66.84	41.76	1,609.96	420.10	1,189.86
पिछले वर्ष	324.78	676.21	1,000.99	285.95	16.81	19.03	1,102.35	415.74	686.61

नोट:

सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे में शामिल किये गए	101.95			
नोट-25 के अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ के प्रावधान		25.63		
नोट 25 के अन्तर्गत वेतन व पारिश्रमिक में कार्य निष्पादन संबंधी वेतन और एलटीसी शामिल है			(0.59)	
नोट 24 में विचारारित प्रयुक्त लाभ				41.76

28 पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
पूर्व अवधि मदें :				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	0.65		(0.61)	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	0.71		-	
विविध	0.22		0.01	
		1.58		(0.60)
व्यय:				
कार्य व्यय	1.75		1.37	
प्रशासनिक व्यय	0.01		-	
मूल्यह्रास	1.27		-	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	0.22			
दरें व कर	-		5.44	
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	3.15		4.01	
अन्य	0.13		0.07	
		6.53		10.89
कुल		(4.95)		(11.49)

29. प्रासंगिक देयताओं में शामिल हैं :

क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 597.21 करोड़ रूपए (622.19 करोड़ रूपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 265.48 करोड़ रूपए (137.33 करोड़ रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 88.14 करोड़ रूपए (327.12 करोड़ रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 145.29 करोड़ रूपए (175.29 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 23.06 करोड़ रूपए (46.21 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रूपए (1.75 करोड़ रूपए) है।

ड़) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और यह अधिकतम 300 करोड़ रुपए (600 करोड़ रुपए के कुल आवधिक ऋण के 50 प्रतिशत) तक होगी।

30. प्रतिबद्धताएं

(क) अंग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 0.51 करोड़ रूपए (1.92 करोड़ रूपए)है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं:

निधि अंशदानकर्ता/संयुक्त उद्यम/सहयोगीयों को प्रतिबद्धता:

क. 30.89 करोड़ रुपए (0.10 करोड़ रुपए) की शेष इक्विटी के प्रति इरकॉन आईएसएल (इरकॉन की 100% सहायक कंपनी)को।

ख. 30.60 करोड़ रुपए (5.10 करोड़ रुपए) (51%)की इक्विटी के प्रति भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमि लि. को।

ग. 2.60 करोड़ रुपए (शून्य)(26% प्रत्येक) की इक्विटी के प्रति छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड को।

अत्यधिक विवरण से बचने के लिए व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में विक्रय/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं का प्रकट नहीं किया गया है।

31. (क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

(ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. (क) **विदेशी मुद्रा में आय :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**1974.55**	1843.27
बैंक ब्याज	**6.11**	5.94
अन्य ब्याज	**0.15**	0.42
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	**13.07**	-
अन्य	**2.91**	12.82
कुल	**1996.79**	**1862.44**

(ख) **विदेशी मुद्रा में व्यय :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
प्रचालन व्यय	960.10	1181.39
परामर्शदात्री प्रभार	48.96	66.13
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	-	15.95
प्रशासनिक और अन्य व्यय	101.24	155.22
कुल	1110.30	1418.69

(ग) **आयातों का सीआईएफ मूल्य :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
सामग्री	55.74	21.44
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	-	-
कुल	55.74	21.44

(घ) **प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित	55.74	13.21%	21.44	4.76%
स्वदेशी	366.12	86.79%	428.75	95.24%
कुल	421.86	100%	450.19	100%

33. **पट्टे संबधित प्रकटन**

I. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी ने 31.03.2013 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	25.20 (25.49)	0.26 (शून्य)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान स्टैंडबाई लोकोमोटिओं सहितप्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यहास का प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**26.79**	24.82
संचित मूल्यहास	**25.45**	23.58

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
वर्ष के लिए मूल्यहास	**1.87**	14.76

II. हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा

कम्पनी ने तीन (चार) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए है। यह करार 09.04.2013 को समाप्त हो गया है। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (0.04)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

III. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यत: आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 5.55 करोड़ रुपए (5.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान 4.45 करोड़ रुपए (4.43 करोड़ रुपए) को नोट 24 में दर्शाया गया है।

34. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
क. आवर्त्त								
प्रचालन से राजस्व	**1974.63**	1849.76	**2256.17**	1749.51	**0.98**	2.14	**4231.78**	3601.41
अन्य आय	**20.09**	15.17	**16.02**	14.94	**213.33**	150.40	**249.44**	180.51
अंत खण्ड	**-**	-		-		-		-
कुल राजस्व	**1994.72**	1864.93	**2272.19**	1764.45	**214.31**	152.54	**4481.22**	3781.92
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**862.38**	603.73	**110.39**	191.74	**186.95**	112.65	**1159.72**	908.12

घटाएँ- प्रावधान और पश्चलिखित(निवल)	**106.25**	112.93	**(7.79)**	80.18	**3.49**	56.03	**101.95**	249.14
मूल्यह्रास	**33.62**	42.90	**7.79**	10.50	**1.55**	3.44	**42.96**	56.84
ब्याज	**-**	-	**-**	-	**0.08**	-	**0.08**	-
कर पूर्व लाभ	**722.51**	447.90	**110.39**	101.06	**181.83**	53.18	**1014.73**	602.14
कर व्यय	**35.77**	44.72	**93.89**	54.90	**155.08**	32.60	**284.74**	132.22
कर पश्चात् लाभ	**686.74**	403.18	**16.50**	46.16	**26.75**	20.58	**729.99**	469.92
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2514.62**	2036.29	**1717.81**	1607.92	**2108.23**	1668.50	**6340.66**	5312.71
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**71.11**	75.33	**26.48**	38.24	**82.04**	82.54	**179.63**	196.11
देयताएं	**1817.65**	1660.52	**1712.41**	1564.00	**510.23**	345.25	**4040.29**	3569.77
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों को जोड़कर	**28.42**	13.62	**0.30**	0.37	**2.49**	0.55	**31.21**	14.54

*अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में जोड़कर	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
निर्माण आदि	**4195.77**	3569.29	**6304.16**	5300.19	**29.16**	14.36
पटटा प्रचालन	**36.01**	32.12	**36.00**	12.52	**2.05**	0.18
कुल	**4231.78**	**3601.41**	**6340.66**	**5312.71**	**31.21**	**14.54**

35. **संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन**

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2013	2012
1	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
2	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

(ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2013	2012
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	रीकॉन - बी.ई.टी.ए.आर.एल.	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
3	इरकॉन- कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
5	एसएमजे-इरकॉन	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
6	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
7	इंटरनेशनल मेट्रा सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
9	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30

ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का प्रतिशत	
			31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
3	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	इरकॉन, भारत आर.एल.डी.ए, भारत	**51.00** **49.00**	- -
4	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ राज्य सरकार	**26.00** **64.00** **10.00**	- -
5	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ राज्य सरकार	**26.00** **64.00** **10.00**	- - -

ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-इसएआरइल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		इरकॉन-एसपीएससीपीएल		कुल	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
1	आय	-	0.24	0.82	1.76	0.01	-	0.64	0.27	11.49	21.16	12.96	23.44
2	व्यय	-	0.24	0.39	0.80	0.13	0.02	(0.15)	(0.23)	11.22	20.14	11.59	20.97
3	नियत परिसंपत्तियां	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01
4	चालू परिसंपत्तियां	-	6.98	5.59	9.22	4.47	5.01	7.92	7.73	6.55	5.85	24.53	34.79
5	चालू देयताएं	-	3.22	(3.88)	-	1.46	1.52	2.79	3.64	6.87	5.39	7.24	13.78
6	ऋण निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

घ) संयुक्त उद्यमों में कंपनी के अपनुपातिक शेयर के प्रति आकस्मिक दयेताएं:

(i) आईएमसीसी के मामले में इंडेंनिटी बांड **1.24 करोड़ रूपए** (1.24 करोड़ रूपए)

(ii) आईएमसा सी के मामले में बिक्री कर देयता **4.25 करोड़ रूपए** (4.25 करोड़ रूपए) है और सेवा कर **1.01 करोड़ रुपए** (1.01 करोड़ रुपए) है।

(iii) एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी शून्य रूपए (0.59 करोड़ रूपए) है।

(iv) एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज़ को निगमित गारन्टी **1.54 करोड़ रुपए** (1.54 करोड़ रुपए) है ।

(v) इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैंक गारंटी **0.91 करोड़ रुपए** (0.91 करोड़ रुपए) है।

(vi) आईआईएमएम(संयुक्त उद्यम) के मामले में आय कर देयता **5.29 करोड़ रुपए** (3.25 करोड़ रुपए) है तथा एमटीजी के मामले में **0.40 करोड़ रुपए** (0.09 करोड़ रुपए)।

(vii) 31.03.2013 को मैसर्स इंजीनियर्स द्वारा आईएसटीपीएल के प्रति वसूली मामला **0.02 करोड़ रुपए** (0.02 करोड़)

(viii) आईएमसीसी के लिए **0.07 करोड़ रुपए** (₹ शून्य) के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान के प्रति कंपनी केशेयर के प्रति आकस्मिक देयता।

36. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

ख. प्रबन्धन कार्मिक

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग दीपक, सबलोक तथा हितेश खन्न

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2012-13	2011-12	31-3-2013 को	31-3-2012 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख')तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-37 के अनुसार		0.44	0.04
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल में निवेश	45.30	शून्य	119.60	74.30
सीसाएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल को ऋण	(21.33)*	17.72	122.83	144.16
सीसाएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	10.94	(1.20)	4.93	2.33
रिकॉन/आईआईएसएल को देय राशि	4.28	1.56	13.77	18.40
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	24.77	64.84	31.21	28.20
आईआरएसडीसी से धनवापसी	1.60	-	0.54	-

* वर्ष के दौरान 35.10 करोड़ रुपए के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया और 18.19 करोड़ रुपए को अतिरिक्त ऋण के रुप में इरकॉन आईएसएल को दिया गया।

37. **निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1.	वेतन और भत्ते	**1.94**	1.06
2.	भविष्य निधि का अंशदान	**0.08**	0.07
3.	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.03**	0.01
4.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.03**	0.01
5.	बैठक फीस	**0.03**	0.02
6.	अन्य हित लाभ	**0.22**	0.17
	कुल	**2.33**	**1.34**

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेश अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।

40. क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित इराक में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

ख) आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 0.89 करोड़ रुपए (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 31.802 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 15.04 करोड़ रुपए के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ग) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रुपए) पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2013 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां 16.23 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 13.25 करोड़ रूपए तक अधिक), दीर्घकालीन प्रावधान 7.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.27 रुपए तक अधिक) तथा कर पूर्व लाभ 8.56 करोड़ रुपए (चालू वर्ष पर प्रभाव 1.58 करोड़ रुपए और पूर्ववर्ती वर्षो पर प्रभाव 6.98 करोड़ रुपए) (पूववर्ती वर्ष 6.98 करोड़ रुपए अधिक था) होता।

41. (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसने 1.25 एमएन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12))का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है- 93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण तथा अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग)में दर्शाया गया है)) जिसके प्रति 28.02.2013 को सीसीएफबी से 1 मिलियन अमरीकी डालर (4.42 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई है और इस प्रकार 88.82 करोड़ रुपए (93.24 करोड़ रुपए) को दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (नोट 14(बी) तथा (सी) और 0.19 (0.19)) को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट 15 (सी) में दर्शाया गया है)। वर्ष के दौरान 1.08 करोड़ रुपए की विनिमय दर को पहचाना गया है जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 से संबंधित 0.65 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि, परियोजना पूरा हो गया था, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।

(ख) सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध है तथा गैरकानूनी है और उसने मोजांबीक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपनी मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण, विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 35.57 करोड़ रुपए (42.13 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (34.20 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति 3.21 करोड़ रुपए और संभावित हानि के भाग के प्रति 2.94 करोड़ रुपए (0.81 करोड़ रुपए) (नोट 12, 14 तथा 15 का संदर्भ लें) की समाप्ति के पश्चात ब्याज में कमी के कारण इक्विटी निवेश के प्रति 5.53 करोड़ रुपए (5.53 करोड़ रुपए)(नोट 12 का संदर्भ लें)] का प्रावधान किया गया है। देय ब्याज सहित ऋण की राशि को 31.03.2011 की प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कारणों से वर्ष के लिए 4.28 करोड़ रुपए (3.38 करोड़ रुपए), संचयी 7.66 करोड़ रुपए (3.38 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2013 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 13.10 करोड़ रुपए (8.33 करोड़ रुपए)अधिक होते और कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 4.46 करोड़ रुपउ तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 8.64 करोड़ रुपए)।

यदि नोट सं. 40 तथा 41 को सचित प्रभाव प्रदान किया होता तो दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 406.16 करोड़ रुपउ (325.67 करोड़ रुपए) होते, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 98.39 करोड़ रुपए (94.81 करोड़ रुपए) होती, दीर्घकालीन प्रावधान 427.77 करोड़ रुपए (422.01 करोड़ रुपए) होते और कर पूर्व लाभ 1036.39 करोड़ रुपए (617.45 करोड़ रुपए) होता।

42. कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80I-ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है। कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (अपीन) द्वारा नामंजूरी नहीं दी गई गया है। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया जा रहा है1 आकलन वर्ष 2012-2013 तक कटौती 700.53 करोड़ रुपए (580.29 करोड़ रुपए) है। यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है।

43. इरकॉन को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकल वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 के लिए भी आकलन पूरा कर लिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 (आकलन वर्ष 2013-14) के दौरान कंपनी ने आकलन वर्ष 2006-07 से कर के लिए प्रावधान के अनुमान की अपनी पद्धति को बदल दिया है। तद्नुसार, चालू आकलन वर्श 2013-14 (वित्त वर्ष 2012-13) और आकलन वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान के विषय के रुप में विदेशों में भुगतान किए गए कर को ऋण के रुप में पुनःपरिकलित किया गया है।

कर निर्धारण की विधि में परिवर्तन के कारण कर के लिए अतिरिक्त (वृद्धि) के कारण, पूर्ववर्ती वर्षों यथा आकलन वर्ष 2006-07 से आकलन वर्ष 2012-13 तक के लिए निर्धारित किया गया है और 108.48 करोड़ रुपए की राशि के लिए बहियों में प्रावधान किया गया है और आकलन वर्ष 2013-14 के लिए 76.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई विधि के अनुसार आस्थिगित कर का आकलन किया गया है और बहियों में 79.60 करोड़ रुपए का प्रावधन किया गया है।

44. एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पी.आर.एम.एफ.)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्त में 1.79 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) का योगदान किया है। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट के

पास 31.03.2013 को 30.57 करोड़ रुपए (26.32 करोड़ रुपए) की संयुक्त निधि है। कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 9.36 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, वहा बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाता के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

I) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.01)	1.57 (1.45)
ब्याज लागत	3.72 (3.34)	4.17 (4.05)	0.12 (0.11)
चालू सेवा लागत	2.90 (2.72)	5.09 (3.94)	0.07 (0.08)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(3.51) ((2.05))	(3.56) ((1.21))	(0.00) (0.01)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 ((5.18))	(0.34) ((0.06))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- (-)	- (-)	- (-)

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(1.13) ((1.01))	(0.04) ((5.18))	0.35 (0.06)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 (5.18)	(0.35) ((0.06))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	1.13 (1.01)	0.04 (5.18)	(0.35) ((0.06))

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	- ((-))	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))

vi) लाभ हानि का विवरण में मान्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
चालू सेवा लागत	2.89 (2.71)	5.09 (3.94)	0.07 (0.08)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	3.72 (3.34)	4.17 (4.05)	0.12 (0.11)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 ((5.18))	(0.35) ((0.06))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	7.75 (7.07)	9.29 (2.81)	(0.16) (0.13)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)
योजना परिसम्पतियां	- (-)	- (-)	- (-)
सरप्लस(डैफिसेट)	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
योजना देयतओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(1.13) ((1.01)	(0.04) (5.18)	0.35 (0.06)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	13.58 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	13.58 वर्ष

45. प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.13 तक	31.03.12 तक
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	16716.79	13143.81
		31.03.13 को	**31.03.12 को**
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	1141.93	1391.36
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	144.33	124.29

* 31.03.2013 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।

46 (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2013 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्योगिक इकाई भी है। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2013 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्योगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

47. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 729.99 करोड़ रुपए (469.92 करोड़ रुपए) को 14,434,583 (9,898,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

48. कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुन:समूहित, पुन:व्यवस्थित तथा पुन:निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002263एन

सीए वाई के गुप्ता	**ललिता गुप्ता**	**के.के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक/वित	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
स.सं.16020	व म.प्र(विधि)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2013

****

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग,
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. **वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")तथा इसकी सहायक कंपनियों, मैसर्स भारतीय रेलव स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (आईआईएसएल)के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 211 की उपधारा (3सी) के संदर्भ में लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह का वास्तविक एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी हो या त्रुटि के कारण हो।

3. **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। हमने भारतीय सदनी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों का प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं ताकि उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाईन तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुरुप उपयुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. **योग्य मत के लिए आधार**

(i) कंपनी वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2013 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां 16.23 करोड़ रुपए तक कम, दीर्घकालीन प्रावधान 7.76 करोड़ रुपए तक कम तथा कर पूर्व लाभ 8.58 करोड़ रुपए (चालू वर्ष में 1.58 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 6.98 करोड़ रुपए)तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 40 का संदर्भ लें)।

(ii) कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी सीसीएफबी से शेयरधारक ऋण और उसपर ब्याज के 31.03.2011 को प्रचलित विनिमय दर पर शेषों विद्यमान हैं और इसे 31.03.2012 को विद्यमान दरों पर अंतरित न करना लेखांकन अनुसूची-11 के अनुरुप नहीं है। इसके परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 13.10 करोड़ रुपए कम हुए हैं ओर कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए कम हुआ है। (चालू वर्ष में 4.46 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 8.64 करोड़ रुपए)तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 41 का संदर्भ लें)।

(iii) यदि उपर्युक्त (i) तथा (ii) का प्रभाव संचयी होता तो दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 372.24 करेड़ रुपए, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 98.41 करोड़ रुपए, दीर्घकालीन आवधिक प्रावधान 427.77 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ 1028.46 करोड़ रुपए होता।

5. **योग्य मद**

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पद अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत् स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वस्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

1) 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कार्यकलापों के समेकित तुलनपत्र के मामले में,

2) वर्ष के लिए इस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में,

3) वर्ष के लिए इस तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह हेतु समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

6. **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

6.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

6.2 कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 227(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण बहीखातों से मेल खाते हैं।

(घ) योग्य मत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मुद्दे से इतर हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) चूंकि केन्द्र सरकार ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 441क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उपकर की दर क्या होगा और ना ही उसने उक्त खंड के अंतर्गत कोई नियम ही जारी किया है कि ऐसे उपकर को किसी रुप में भुगतान किया जाएगा, इसलिए कंपनी पर कोई उपकर देय नहीं है और भुगतान नहीं किया है।

कृते **वाही एंड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता स.16020

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26.07.2013

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

(उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (6.1) में निर्दिष्ट)

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

   (ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रगतिशील प्रतिदान स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

   (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

   (ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रुप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है ।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

4. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंरभिक नियंत्रण प्रक्रियाएं है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्कयता है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो।

6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

7. हमारी आय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरुप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है ।

9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयकुत प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ

नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.03.2013 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नही है ।

ख) 31.03.2013 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

राशि का प्रकार	राशि (रूपए करोड़ों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
आय कर	31.33	2005-06 और 2010-11	सीआईटी (अपील), दिल्ली
सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
बिक्री कर	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
बिक्री कर	1.53	1996-97	
रॉयल्टी	0.02	1984-85 और 1985-86	उच्च न्यायालय , इलाहबाद
बिक्री कर	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर, उड़ीसा
बिक्री कर	0.03	1993-94	उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश
बिक्री कर	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
बिक्री कर	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, बेहाला
बिक्री कर	1.75	1987-88 से 1994-95	बिहार बिक्रीकर अधिकरण-कहलगांव
बिक्री कर	5.98	2005-06 और 2006-07	आयुक्त, बिक्रीकर, बिहार
प्रवेश शुल्क	0.15	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, बरेली
बिक्री कर	0.31	2009-10	उपायुक्त, बिक्रीकर, बेहाला
बिक्री कर	0.26	2008-09	उपायुक्त, बिक्रीकर, बेहाला
बिक्री कर	0.21	1997-98	राजस्व बोर्ड, ग्वालियर
बिक्री कर	1.32	2007-08 और 2008-09	उच्च न्यायालय , इलाहबाद
बिक्री कर	0.91	2008-09 और 2009-10	उपायुक्त बिक्री कर, नोएडा
भविष्य निधि	1.75	2003-04 से 2006-07	भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
बिक्री कर	19.32	1999-00 से 2005-06	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू
प्रवेश कर	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त, अपील, झांसी

राशि का प्रकार	राशि (रूपए करोड़ों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
प्रवेश कर	0.03	2009-10	उपायुक्त, बिक्रीकर लखनऊ
बिक्री कर	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय , इलाहबाद
बिक्री कर	1.02	2002-03 से 2004-05	उच्च न्यायालय , इलाहबाद
प्रवेश कर	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त, अपील, झांसी
यूपीटीटी	0.43	2006-07	
यूपीटीटी	0.88	2007-08	
यूपीवीएटी	0.60	2007-08	
यूपीवीएटी	1.30	2008-09	
यूपीवीएटी	1.38	2009-10	

10. हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानियां नहीं हुई है न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।

11. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचेर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है ।

12. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकोर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी नें शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।

13. हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है । इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपंबध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कम्पनी शेयरों प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तदनुसार कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गांरटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।

17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

18. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते **वाही एंड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(सीए वाई.के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 16020

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26.07.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26 जुलाई, 2013 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 1956, के अनुच्छेद 619 (3) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956, के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(दिनेश भार्गव)
प्रधान निदेशक,
रेलवे -वाणिज्यिक

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 08.08.2013

इरकॉन

समेकित वित्तीय विवरण

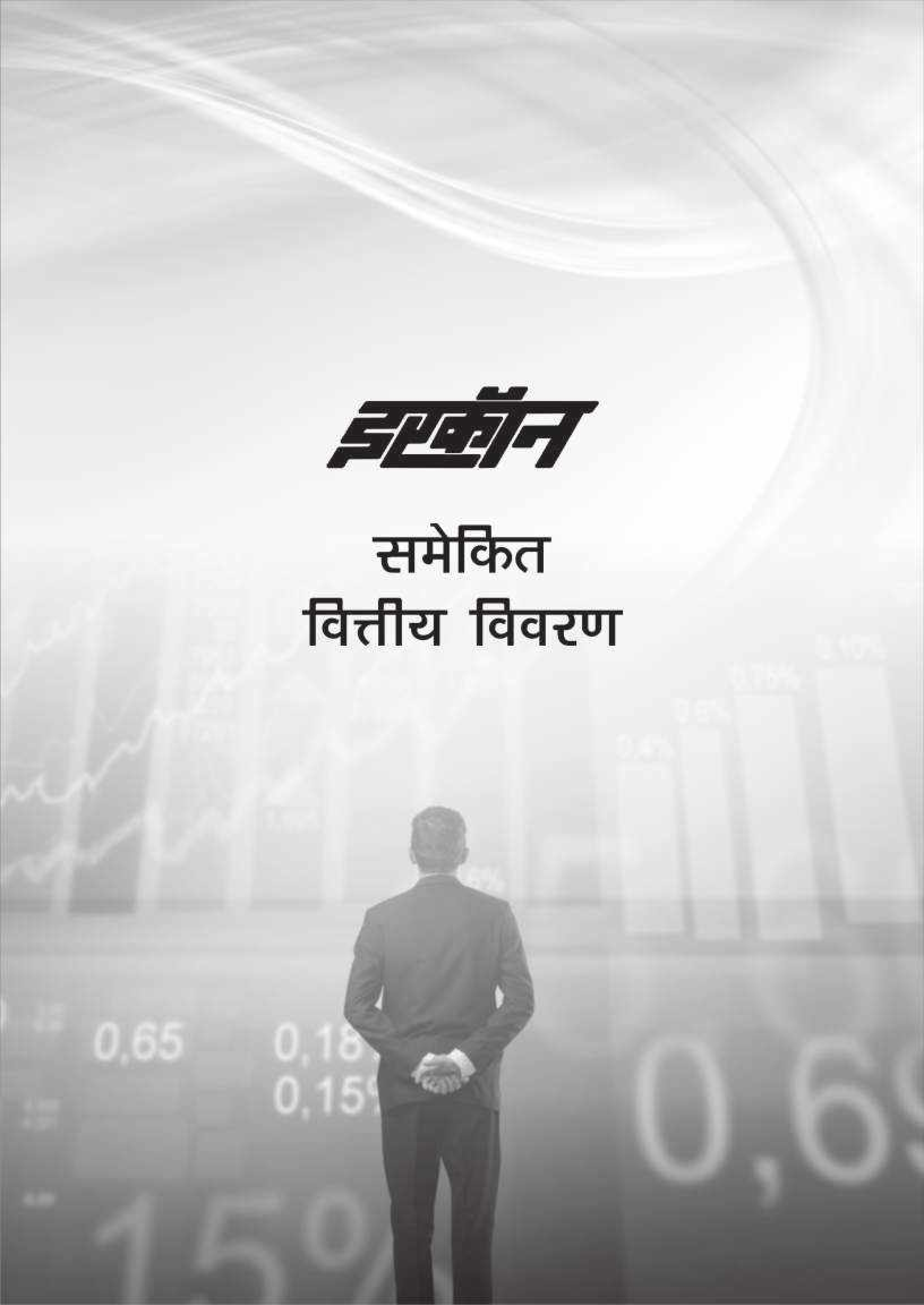

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च 2013 को

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	19.80		9.90	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	2,264.00	2,283.80	1,724.75	1,734.65
	अल्प हित			9.28		-
2	**गैर-चालू देयताएं**			9.28		
	(क) दीर्घकालीन ऋण	4	397.32		271.46	
	(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	420.10	817.42	415.95	687.20
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	6	633.16		529.97	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	1,892.25		1,868.68	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	693.17		471.93	
	(घ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		7.24	3,225.82	13.78	2,884.36
	कुल			6,336.32		5,306.21
II.	**परिसंपत्तियां**					
	गैर-चालू परिसंपत्तियां					
1	(क) नियत परिसंत्तियां	9				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		178.05		193.44	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		0.01	
	(iii) प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां	10	0.80		0.25	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	69.17		58.36	
	(v) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		0.02		0.01	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	180.14		190.89	
	(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	13	268.99		189.39	
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	359.14		266.43	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	82.18	1,138.49	81.56	980.34
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	16	64.95		12.51	
	(ख) दरसूचियां	17	124.56		134.51	
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	1,093.16		840.42	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	3,127.70		2,603.29	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	526.70		452.12	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	236.23		248.22	
	(छ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		24.53	5,197.83	34.80	4,325.87
	कुल			6,336.32		5,306.21
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता
साझेदार
सं.स 16020

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म.प्र.(विधि)

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	2012-13	2011-12
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	22	4,209.05	3,552.40
	संयक्त रुप से नियंत्रित निकायों में निर्माण राजस्व में आनुपातिक शेयर		12.96	23.44
	अन्य आय	23	241.84	175.68
	कुल राजस्व		4,463.85	3,751.52
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		3,061.05	2,631.40
	- प्रशासनिक व्यय		24.12	19.65
	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	199.55	157.36
	वित्तीय लागतें	26	10.87	6.51
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	9	42.97	56.83
	प्रावधान (निवल)	27	101.95	249.14
	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों मे व्यय का आनुपातिक शेयर		11.59	20.97
	पूर्व अवधि समायोजन	28	4.95	11.23
	कुल व्यय		3,457.05	3,153.09
III	**कर से पूर्व लाभ (I - II)**		1,006.80	598.43
IV.	**(आय)/घाटों में जमा/ (घटा)अल्प हित**		0.52	-
V.	**कर व्यय :**			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		302.84	222.51
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		62.37	(30.74)
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	(79.60)	(58.30)
	कुल कर व्यय		285.61	133.47
VI.	वर्ष के लिए लाभ (III+IV-V)		721.71	464.96
VII.	प्रति शेयर आमदनी-मूलभूत तथा विलयित(रु.में)	48	499.99	469.75
VIII.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IX.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता
साझेदार
सं.स 16020

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म.प्र. (विधि)

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2012-13		2011-12	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		1,011.75		609.66	
निम्न के लिए समायोजन:					
मूल्यह्रास		44.24		56.84	
निवेश की किश्तों पर छूट		0.36		0.36	
निवेश में हानिकरण		-		5.53	
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(3.04)		(8.39)	
ब्याज आय		(209.69)		(154.03)	
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		101.95		249.14	
(आय)/हानियों में अल्प हित		0.52		-	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(13.08)		15.95	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	933.01		775.06	
निम्न के लिए समायोजन:					
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		(136.72)		452.00	
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		9.95		30.41	
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		59.55		(47.36)	
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		103.19		77.36	
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		(123.11)		(570.11)	
जेसीई चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		10.27		11.49	
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(6.54)		(20.92)	
	(2)	(83.41)		(67.13)	
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	849.60		707.93	
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		(4.95)		(11.23)	
प्रदत्त आयकर		(283.31)		(78.05)	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	(क)		561.34		618.65
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(42.71)		(44.30)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		5.55		13.09	
प्राप्त ब्याज		161.51		112.99	
इक्विटी और बांडों में निवेश		(42.05)		(28.82)	
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		(0.01)		1.79	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		82.29		54.75
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(132.30)		(62.06)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		(132.30)	-	(62.06)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)		13.08		(15.95)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)		524.41		595.39
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ङ)		2,603.29		2,007.90
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)		3,127.70		2,603.29
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(छ-ज)		524.41		595.39

नोट:
1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आउटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. ईएमडी के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में 19.29 करोड़ रु. (12.32 करोड़ रु.) की मार्जिन मनी शामिल है तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 470.40 करोड़ रु. (541.02 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

वाई के गुप्ता
साझेदार
सं.स 16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव एवं म.प्र. (विधि)

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2013

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) समेकित वित्तीय विवरण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों की बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iv) विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।
2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर किया जाता है।
4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को क्रय दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयाग प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर करके परिवर्तित की जाती हैं।
5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयागे करके परिवर्तित किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता है -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(v) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा अनर्जन घाटों, यदि कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

(vi) निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, उो निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रस और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लिखित किया जाता है।

(vii) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(viii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(ix) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजना के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(x) संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

(xi) संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निषपादित ठेके

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

(xii) पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xvi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xvi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

क. सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख. कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग. यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर तथा हैंडसैट मोबाइल	31.67%
घ. वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ङ. फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च. स्पीड बोट्स	19.00%

ख) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों तथा निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ग) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपए तक की साफ्टवेयर लागत को क्रय के वर्ष में पूर्णत मूल्यह्रास किया जाएगा।

घ) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ङ) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

(xvii) उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xviii) सेवानिवृति लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ख) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xix) पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

क) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xx) कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxi) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

****

2 शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
19,796,000 (98,98,000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त	**19.80**	9.90
कुल	**19.80**	**9.90**

i) धारित शेयरों का वितरण:

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**19,742,400**	**99.729%**	9,871,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**48,800**	**0.247%**	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**4,800**	**0.024%**	2,400	0.024%
कुल	**19,796,000**	**100%**	98,98,000	100%

ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर : 1:1 के अनुपात में 15 अक्टूबर 2012 को बोनस शेयर जारी किए गए (पिछले वर्ष शून्य)।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें और अधिकार :

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

कपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. सामान्य आरक्षित निधियां				
अधिशेष	1,724.75		1,369.08	
जोड़ें : लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित (नीचे- ग का संदर्भ लें)	546.25		355.67	
घटा :बोनस शेयरों को जारी करने के लिए प्रयुक्त	9.90	2,261.10	-	1,724.75
ख. सीएसआर गतिविधि आरक्षित आरक्षित निधि $				
लाभ हानि खाते से अंतरण	2.90	2.90	-	-
घ. लाभ और हानि विवरण में अतिरेक				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ	721.71		464.96	
घटा: विनियोजन				
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि में अंतरण	2.90		-	
- अंतरिम लाभांश	49.49		29.69	
[(प्रति शेयर लाभांश रु. 25/- (रु. 30/-*)]				
-प्रस्तावित लाभांश	98.98		64.34	
[(प्रतिशेयर लाभांश 50/- (रु. 65/-*)]				
- अंतरिम लाभांश पर कर	8.03		4.82	
- प्रस्तावित लाभांश पर कर	16.06		10.44	
- सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	546.25	-	355.67	-
कुल		2,264.00		1,724.75

* पिछले वर्ष लाभांश बोनस-पूर्व इक्विटी शेयरों पर था।

$ वर्ष के लिए अव्यय राशि हेतु लाभ के विनियोजन के रुप में 2.90 करोड़ रुपए के सीएसआर आरक्षित निधि का सृजन किया गया है। पिछले वर्ष 3.34 कराड़ रुपए की अव्यय राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया था।

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
(क) व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग		
(नोट 47 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य	33.51	5.37
(ख) अन्य देयताएं		
(ख) ग्राहकों से अग्रिम (i)	236.04	151.86
(ख) संबंधित पक्ष	127.77	114.23
कुल	397.32	271.46

i) ग्राहको से अग्रिमो पर देय ब्याज शामिल है - **रु. 9.35 करोड़** (रु. 5.57 करोड़)
ii) ठेकेदारो से सावधि जमा राशियों/प्रतिभूति जमा के रुप में प्राप्त अग्रिम राशि सहित **रु. 14.70 करोड़** (रु. 22.04 करोड़)।

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान:				
(नोट सं 44 का संदर्भ लें)				
i) उपदान	50.61		46.77	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	58.50		52.44	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.31		1.45	
iv) पेंशन	17.88		12.80	
v) यात्रा छुट्टी रियायत	0.05	128.35	-	113.46
(ख) अन्य प्रावधान:				
i) विसंग्रहण के लिए	4.97		18.12	
ii) अनुरक्षण के लिए	46.87		63.89	
iii) भावी आकस्मिकताओं के लिए	-		4.29	
iv) डिजाईन गारंटी	221.86		183.34	
v) अन्य व्यय	18.05	291.75	32.64	302.28
कुल		420.10		415.74

6 व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 47 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	624.60	518.11
(ख) संबंधित पक्ष	8.56	11.86
कुल	**633.16**	**529.97**

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां	530.86	590.02
(ख) ग्राहकें से अग्रिम राशियां (i)	775.42	926.68
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि (ii)	368.69	301.49
(घ) सांविधिक देय राशियां	185.31	23.31
(ड़) स्टाफ	16.63	14.16
(च) अन्य (iii)	15.34	13.02
कुल	**1,892.25**	**1,868.68**

i ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - **रु. 34.09 करोड़** (रु. 103.33 करोड़)।

ii ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा अग्रिम राशियों सहित बकाया जमा राशि / प्रतिभूति जमा राशि **रु. 19.46 करोड़** (रु. 12.23 करोड़)।

iii बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 44 का संदर्भ लें)						
i) उपदान		(3.26)			2.86	
ii) छुट्टी वेतन के लिए		6.32			5.15	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		0.11			0.13	
iv) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		9.36			-	
v) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		11.44			12.11	
vi) छुट्टी यात्रा रियायत		0.03	30.52		-	20.25
(ख) अन्य प्रावधान:						
i) विसंग्रहण के लिए		32.27			10.03	
ii) अनुरक्षण के लिए		94.99			19.77	
iii) भावी आकस्मिकताएं		7.25			13.21	
iv) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-			3.34	
v) न्यायिक मामले		64.52			59.79	
vi) अन्य व्यय		25.66			41.39	
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	820.57			445.30		
घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	(497.65)	322.92		(215.92)	229.38	
viii) लाभांश (प्रस्तावित)		98.98			64.34	
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		16.06	662.65		10.43	451.68
कुल			693.17			471.93

9 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लाक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2012 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.3.2013 को	31.3.2012 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.2013 तक	31.03.2013 को	31.03.2012 को
क	मूर्त परिसंपत्तियां										
	स्वामित्व भूमि	3.45	-	(0.03)	3.42	-	-	-	-	3.42	3.45
	पट्टे की भूमि (vi)	36.40	-	(0.01)	36.39	0.16	0.01	-	0.17	36.22	36.24
	पट्टे के भवन (iii)	40.22	2.22	-	42.44	4.35	0.77	-	5.12	37.32	35.87
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	9.30	2.38	0.15	-	2.53	6.77	6.92
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय	10.64	-	-	10.64	1.34	0.19	-	1.53	9.11	9.30
	संयंत्र और मशीनरी (i व v)	348.10	24.26	(27.29)	345.07	252.40	37.21	(24.98)	264.63	80.44	95.70
	सर्वेक्षण संयंत्र	3.53	0.27	(0.12)	3.68	3.16	0.33	(0.12)	3.37	0.31	0.37
	कम्प्यूटर	8.35	0.70	(0.54)	8.51	7.47	0.70	(0.52)	7.65	0.86	0.88
	मोबाईल हैंडसेट	0.25	0.05	(0.06)	0.24	0.21	0.05	(0.06)	0.20	0.04	0.04
	कार्यालय उपस्कर	6.92	0.85	(0.54)	7.23	5.87	0.82	(0.54)	6.15	1.08	1.05
	फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग	7.68	0.65	(0.30)	8.03	6.86	0.78	(0.28)	7.36	0.67	0.82
	टैंटेज, कैम्प और अस्थायी शेड	6.37	2.01	(2.12)	6.26	6.33	2.03	(2.11)	6.25	0.01	0.04
	वाहन (v)	16.08	0.30	(1.75)	14.63	13.32	1.16	(1.65)	12.83	1.80	2.76
	चालू वर्ष का जोड़	497.29	31.31	(32.76)	495.84	303.85	44.20	(30.26)	317.79	178.05	193.44
	पिछले वर्ष के आंकड़े	516.25	14.54	(33.51)	497.29	276.38	56.28	(28.81)	303.85	193.44	239.86
ख	अमूर्त परिसंपत्तियां										
	सॉफ्टवेयर	1.68	0.04	(0.01)	1.71	1.67	0.04	-	1.71	-	0.01
	चालू वर्ष का जोड़	1.68	0.04	(0.01)	1.71	1.67	0.04	-	1.71	-	0.01
	पिछले वर्ष के आंकड़े	1.68	-	-	1.68	1.11	0.56	-	1.67	0.01	0.57
	चालू वर्ष का सकल योग	498.97	31.35	(32.77)	497.55	305.52	44.24	(30.26)	319.50	178.05	193.45
	पिछले वर्ष के आंकड़े	517.93	14.54	(33.51)	498.97	277.49	56.84	(28.81)	305.52	193.45	240.43

ii) अल्प पट्टा व. स्टेब्लाय पर इंजन सहित

iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
लाभ और खाता		
चालू	42.97	56.83
पिछली अवधि	1.27	-
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	0.01
कुल	44.24	56.84

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.80 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) मितव्ययी रुप से मरम्मत न की जा सकने वाली नियत परिसंपत्तियां जिन्हे निपटान के लिए अलग रखा गया है, उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम से निकाल कर अन्य चालू परिसंपत्तियों में अंतरित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति ब्लाक	मार्च 2013 को		मार्च 2012 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	13.40	1.20	3.30	0.01
वाहन	-	-	2.06	-
कुल	13.40	1.20	5.36	0.01

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
एसएपी का क्रियान्वयन		
आरंभिक शेष	0.25	-
वर्ष के दौरान जोड़	0.55	0.25
कुल	0.80	0.25

11 पूंजीगत कार्य-प्रगति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
आरंभिक शेष	58.36	28.85
वर्ष के दौरान जमा:		
- कार्यशील व्यय	11.26	27.11
- मूल्यह्रास	-	0.01
- वेतन, पारिश्रमिक व लाभ	1.14	1.43
- भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	0.08	0.08
- अभिकल्प, आरेखण, व्यापार विकास एवं परामर्श प्रभार	0.11	0.18
- निरीक्षण, जैव तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.02
- किराया - गैर आवासीय	0.02	0.03
- दरें व कर	0.03	0.16
- वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	-	0.01
- मरम्मत एवं अनुरक्षण		
-कार्यालय एवं अन्य	0.01	0.02
- यात्रा व्यय	0.06	0.08
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.01	-
- पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलेक्स	0.01	0.01
- सुरक्षा सेवाएं	0.03	0.02
- विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	0.02	0.02
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	0.01	0.01
- पूर्व अवधि व्यय	-	0.27
- विज्ञापन एवं प्रचार	0.16	0.03
- प्राधिकृत पूंजी का प्रेषण	0.15	
- विविध प्रचालनिक व्यय	0.05	0.02
घटा :- वर्ष के दौरान पूंजीकरण	2.34	-
कुल	69.17	58.36

12 गैर-चालू निवेश

	विवरण	31मार्च 2013				31मार्च 2012			
		संख्या	राशि (करोड़ में)			संख्या	राशि (करोड़ में)		
क	**व्यापार निवेश (लागत पर)**								
	कोट न किए गए								
	पूर्णत् प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश								
	एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में								
	सी.सी. एफ. बी. मोज़ांबिक								
	मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शेयर (i)	12,50,000	5.53			12,50,000	5.53		
	घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान		5.53	-			5.53	-	
	(नोट सं 40 का संदर्भ लें)								
	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि.(आईएसटीपीएल)								
	(ii क तथा ख)								
	10 रु. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर	6,38,70,000		63.87		6,38,70,000		63.87	-
	कुल (क)				63.87				63.87
ख	**अन्य निवेश (लागत पर)**								
	कोट किए गए								
	बांडों में निवेश								
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनांस कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त बांड		-			6,000	61.07		
	घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		-	-			0.36	60.71	
	6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	5,000		50.00		5,000		50.00	
	8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	163,131		16.31		163,131		16.31	
	7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड	500		49.96				-	
	कुल (ख)				116.27				127.02
	कुल				180.14				190.89

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-		**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	-खाता मूल्य	**63.87**	63.87
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**116.27**	127.02
	- बाजार मूल्य	**115.11**	123.84

i) मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है।

ii) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंज़ाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2013 को बकाया देय राशि 494.96 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरित) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजान नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2012 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2013 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	16.74	32.20	**48.94**
- भावी हानियां	5.68	(3.22)	**2.46**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	34.21	(0.52)	**33.69**
- उपदान के लिए	16.10	2.21	**18.31**
- छुट्टी यात्रा रियायत	-	0.03	**0.03**
- विधिक मामलों के लिए	19.40	2.53	**21.93**
- अभिकल्प गारंटी	45.84	29.57	**75.41**
- अन्य व्यय	24.98	(10.12)	**14.86**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.02	(0.01)	**0.01**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	27.04	13.84	**40.88**
- प्रारंभिक व्यय का 3/5 भाग	0.01	-	**0.01**
	190.02	66.51	**256.53**
देयता			
मूल्यहृास	0.63	(13.09)	**(12.46)**
	0.63	(13.09)	**(12.46)**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	**189.39**	**79.60**	**268.99**
पिछले वर्ष	131.06	58.32	189.38

14 दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.77		1.84	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	-		0.27	
		1.77		2.11
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	0.61		0.30	
- ग्राहक	21.07		21.97	
- अन्य	4.88	26.56	4.94	27.21
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उद्यम				
-सीसीएफबी (नोट सं 41 का संदभ लें)	-	58.96	-	56.83
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.28		1.23	
सरकारी विभागों में जमा	0.16		0.16	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	102.24		15.38	
ग्राहकों से वसूलनीय योग्य	-		0.01	
आयकर, टीडीएस सहित	166.53		162.48	
पूर्व भुगतान व्यय	1.64	271.85	1.02	180.28
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उद्यम				
- सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	29.86		36.41	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-		0.03	
ठेकेदारों व आपूर्तिकताओं को अग्रिम	8.48		6.42	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	0.02		0.02	
	38.36		42.88	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	38.36	-	42.88	-
कुल		359.14		266.43

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **₹ शून्य** (₹ शून्य) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**0.97**		1.11
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक की सावधि जमा राशियां (i)		**14.70**		22.04
निम्नलिखित पर संचित ब्याज:				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.32**		0.24	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**33.96**		25.74	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	**0.41**		0.61	
- आस्थगित देय (40(ख) का संदर्भ लें)	**31.82**	**66.51**	31.82	58.41
ग. संदिग्ध समझे गए				
निम्न पर अर्जित ब्याज :				
- संबंधित पक्ष-संयुक्त उद्यम-सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	**0.19**		0.19	
- स्टाफ को अग्रिम	**-**		0.03	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**0.40**		0.40	
	0.59		0.62	
घटा: संदिग्ध के लिए प्रावधान	**0.59**	-	0.62	-
कुल		**82.18**		**81.56**

i) ईडीएम के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त **14.70 करोड़ रु.** (22.04 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **₹ शून्य** (₹ शून्य) है।

16 चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को			31मार्च 2012 को	
	संख्या	राशि (करोड़ में)		संख्या	राशि (करोड़ में)
क म्यूचुवल फंड में निवेश					
कोट किया गया					
म्यूचुवल फंड					
यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना (i)	45,156		4.60	122,740	12.51
ख बांड					
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त भारतीय अवसंरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ टी एल) के बांड	6,000	60.71		-	
घटा : निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का विनियोजन		0.36	60.35		-
कुल			64.95		12.51

कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
कोट किए गए निवेश का योग - बुक मूल्य वैल्य	64.95	12.51
- बाजार मूल्य	63.88	12.51

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2013 को		31मार्च 2012 को	
क. सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	37.22		65.84	
- तृतीय पक्षों के पास	1.06		1.90	
- मार्गस्थ	0.37		0.22	
		38.65		67.96
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		85.91		66.55
कुल		124.56		134.51

18 व्यापार प्राप्य *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013		31 मार्च 2012	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवाधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	158.75		44.96	
- संदिग्ध समझे गए वे प्रवधान किया गया	21.03	179.78	36.19	81.15
अन्य व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य	934.41		795.46	
- संदिग्ध समझे गए वे प्रवधान किया गया	0.58	934.99	0.12	795.58
		1,114.77		876.73
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		21.61		36.31
कुल		1,093.16		840.42

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **₹ शून्य** (₹ शून्य) है।

19 रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य				
क) हाथ रोकड़ (i)		0.24		0.46
ख) हाथ में चैक/ड्राफ्ट		0.02		0.15
ग) बैंकों में शेष				
चालू खातों में	124.98		494.45	
फ्लैक्सी खातों में (ii)	194.55		117.14	
जमा खातों में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)	1,247.51	1,567.04	650.92	1262.51
घ) पारगमन में प्रेषण		4.19		-
अन्य बैंकों में शेष				
जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)		1,536.71		1327.85
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा		19.46		12.32
कुल		**3,127.70**		**2,603.29**

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ **0.02 करोड़ रुपए** (0.06 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2013	31.03.2012
फ्लैक्सी खाते में	72.55	-
जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	470.00	289.02
जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	0.40	225.00
कुल	542.95	514.02

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.71		0.72	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	31.53	32.24	57.33	58.05
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	7.08		4.55	
- ग्राहकों से	90.95		56.94	
- अन्य	0.61	98.64	0.56	62.05
निम्न से वसूलनीय राशियां :				
संयुक्त उपक्रम				
- रिकॉन सीईटीए एसएआरएल	1.10		3.89	
- सीसीएफबी	0.67		0.60	
- इरकॉन-आरसीएस-पिफडरर	-	1.77	0.01	4.50
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	2.40		3.25	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	93.87		126.55	
ग्राहकों के पास धारित राशि	72.46		76.62	
टीडीएस सहित- बिक्री कर	118.06		24.66	
मूल्य संवर्धित कर	84.66		66.76	
सेवाकर इनपुन ऋण	1.18		0.93	
आयकर (टीडीएस सहित)	12.21		11.81	
पूर्वप्रदत्त व्यय	5.39		7.87	
अन्य	3.82	394.05	9.07	327.52
ग. संदिग्ध समझे गए				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.01		-	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.62		6.87	
सरकारी विभागों से जमा	2.25		3.45	
प्रतिधारण राशि सहित जमा	16.93		15.41	
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	10.73		-	
	38.54		25.73	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	38.54	-	25.73	-
कुल		526.70		452.12

* किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, ₹ **शून्य**(₹ शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशको से देय राशि	0.03	0.05
	0.03	0.05

21 अन्य चालू परिसम्पतियाँ *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:		
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम (रक्षित)	0.16	0.14
बांड	3.41	1.70
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)	0.09	0.08
त्रण हेतु		
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	0.20	0.20
निम्न पर जमा व अग्रिम :		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	0.53	0.53
- बैंकों में जमा राशि	94.77	56.29
ख) प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	135.87	189.27
ग) निपटान क लिए रखी गई परिसंपत्ति (i)	1.20	0.01
कुल	236.23	248.22

(i) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	13.40	1.20	3.30	0.01
वाहन	-	-	2.06	-
कुल	13.40	1.20	5.36	0.01

* ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **₹ शून्य** (शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है निम्नानुसार को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.003	0.01
	0.003	0.01

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
ठेका राजस्व	4,162.15	3,514.30
लोको	35.60	31.63
मशीन किराया प्रभार	0.08	0.38
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	11.22	6.09
कुल	4,209.05	3,552.40

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		9.66		7.48
बैंक ब्याज - सकल	236.36		169.11	
घटा: ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	48.37	187.99	34.87	134.24
वापस आए आयकर पर ब्याज		7.51		6.31
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		0.42		0.37
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		4.11		5.63
विनिमय उच्चावचन लाभ	27.55		-	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	14.47	13.08	-	-
लाभांश आय	3.05		0.41	
घटा : ग्राहकों को दिया गया लाभांश	0.76	2.29	-	0.41
परिसंपतितयों की बिक्री से लाभ		3.44		8.45
विविध		13.34		12.79
कुल		241.84		175.68

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
	2012-13		2011-12		2012-13	2011-12
प्रयुक्त सामग्रियां तथा भंडारण						
आरंभिक शेष	67.75		62.45		-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	392.39		455.49		-	-
	460.14		517.94		-	-
घटा: अंतिम शेष	38.28	421.86	67.75	450.19	-	-
कार्यगत व्यय		2,348.50		1,949.04	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		(19.37)		21.92	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		102.25		67.55	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		3.69		3.44	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		30.62		18.38	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		9.41		5.73	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि	-		51.20		-	-
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	-		35.25		-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-		15.95	-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (III) का संदर्भ लें)		4.29		4.20	0.30	0.20
दर एवं कर		135.67		55.72	0.36	0.83
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		14.19		15.62	0.82	0.69
मरम्मत और रखरखाव						
- भवन		0.26		0.25	0.38	0.51
- कार्यालय तथा अन्य		3.16		3.18	3.23	2.33
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		3.81		3.56	1.47	1.04
बीमा		10.17		9.83	0.18	0.12
यात्रा और वाहन		9.93		10.02	1.55	1.53
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.96		2.00	0.99	0.64
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		2.55		2.46	0.51	0.52
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		2.58		3.96	3.81	1.70
सुरक्षा सेवाएं		3.13		3.41	0.16	0.18
व्यवसाय संवर्धन		1.12		1.11	0.11	0.09
बट्टा खाता:						
अशोध्य ऋण		0.10		-	-	-
अशोध्य अग्रिम		0.60		0.23	-	-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-		-	0.40	0.06
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-		-	0.36	0.36
निदेशकों की फीस		-		-	0.03	0.02
चंदा		-		-	-	0.15
लेखापरीक्षकों की फीस (i)		-		-	0.78	0.76
विज्ञापन और प्रचार		-		-	3.28	4.49
प्रशिक्षण और भर्ती		-		-	0.60	0.29
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता					0.68	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-			2.42	0.05
धारणीय विकास					0.90	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-		-	9.53	2.22
विविध व्यय		2.49		2.65	1.11	0.87
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (ii)		(31.92)		(19.02)	(9.84)	-
कुल		3,061.05		2,631.40	24.12	19.65

(I) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	2012-13	2011-12
(I) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.21	0.24
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.06	0.07
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.08	0.07
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.35	0.32
- विदेशी	0.08	0.06
कुल	0.78	0.76

(ii) ब्यौरा नोट सं. 27 पर उपलब्ध है।

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
	प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i) (नोट 33(III) का संदर्भ लें)	**119.33**	**33.23**	97.75	31.45
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान	**6.21**	**2.56**	7.65	2.10
विदेश सेवा अंशदान	**0.75**	**0.40**	0.27	0.43
सेवानिवृत्ति लाभ	**10.57**	**23.81**	10.38	4.39
कर्मचारी कल्याण	**2.24**	**0.45**	2.48	0.46
उप कुल	**139.10**	**60.45**	118.53	38.83
कुल	**199.55**		157.36	

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है **0.23 करोड़ रुपए** (0.21 करोड़ रुपए)

26 वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
ब्याज व्यय	**0.08**	-
अन्य वित्त लागत		
- बैंक तथा अन्य प्रभार	**10.79**	6.51
कुल	**10.87**	**6.51**

27 प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-4-2012 को शेष			2012-13 के दौरान			31-3-2013 को शेष		
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	जमा	बट्टा,खाता	उपयोग	कुल	दीर्घकालीन	अल्पकालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) सेवानिवृत्ति लाभों									
उपदान	46.77	2.86	49.63	7.75	-	3.51	53.87	50.61	3.26
छुटटी वेतन के लिए	52.44	5.15	57.59	11.41	0.08	4.10	64.82	58.50	6.32
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.45	0.13	1.58	-	0.16	-	1.42	1.31	0.11
सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		-	-	9.36	-	-	9.36	-	9.36
पैंशन	12.80	-	12.80	5.08	-	-	17.88	17.88	-
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	113.46	8.14	121.60	33.60	0.24	7.61	147.35	128.30	19.05
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (ii)	-	12.11	12.11	10.30	-	10.97	11.44	-	11.44
छुटटी यात्रा रियायत			-	0.08	-	-	0.08	0.05	0.03
अन्य लाभों का योग (ii)	-	12.11	12.11	10.38	-	10.97	11.52	0.05	11.47
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	113.46	20.25	133.71	43.98	0.24	18.58	158.87	128.35	30.52
ख अन्य									
विसंग्रहण के लिए	18.12	10.03	28.15	9.66	-	0.57	37.24	4.97	32.27
अनुरक्षण के लिए	63.89	19.77	83.66	71.75	7.13	6.42	141.86	46.87	94.99
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	4.29	13.21	17.50	6.81	3.61	13.45	7.25	-	7.25
अभिकल्प गारंटी	183.34	-	183.34	38.52	-	-	221.86	221.86	-
संदिग्ध ऋण के लिए	-	36.31	36.31	3.71	18.32	0.09	21.61	-	21.61
संदिग्ध अग्रिम के लिए	43.50	25.73	69.23	20.43	12.10	0.07	77.49	38.95	38.54
निवेश की हानि	5.53	-	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	-	3.34	3.34	6.50	-	9.84	-	-	-
देयताएं (विधि मामले)	-	59.79	59.79	5.98	0.67	0.58	64.52	-	64.52
अन्य व्यय	32.64	41.39	74.03	5.43	25.01	10.74	43.71	18.05	25.66
आयकर और संपत्ति कर	-	445.30	445.30	392.12	13.87	2.98	820.57	-	820.57
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	84.34	64.34	148.47	-	113.83	98.98	-	98.98
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	10.43	10.43	24.09	-	18.46	16.06	-	16.06
कुल अन्य प्रावधान (ख)	351.31	729.64	1,080.95	733.47	80.71	177.03	1,556.68	336.23	1,220.45
सकल योग (ग = क+ख)	464.77	749.89	1,214.66	777.45	80.95	195.61	1,715.55	464.58	1,250.97
घ घटा: अलग से विचार किए गए									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	36.31	36.31	-	-	-	21.61	-	21.61
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	43.50	25.73	69.23	-	-	-	77.49	38.95	38.54
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	5.53	-	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ	-	-	-	33.60	0.24	7.61	-	-	-
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी	-	-	-	10.38	-	10.97	-	-	-
समायोजित/पृथक विचारित आयकर	-	-	-	392.12	13.87	2.98	-	-	-
भुगतान किए गए /पृथक रुप से विचारित लाभांश	-	-	-	148.47	-	113.83	-	-	-
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर	-	-	-	24.09	-	18.46	-	-	-
कुल (घ)	49.03	62.04	111.07	608.66	14.11	153.85	104.63	44.48	60.15
निवल: चालू वर्ष (ग -घ)	415.74	687.85	1,103.59	168.79	66.84	41.76	1,610.92	420.10	1,190.82
पिछले वर्ष	324.78	676.25	1,001.03	265.95	16.81	19.02	1,103.59	415.74	687.85

नोट:

सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे मे शामिल किये गए	101.95			
नोट-25 के अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ के प्रावधान		25.75		
नोट 25 के अन्तर्गत वेतन व पारिश्रमिक में कार्य निष्पादन संबंधी वेतन और एलटीसी शामिल हैं			(0.59)	
नोट 24 में विचरारित प्रयुक्त लाभ				41.76

28 पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
पूर्व अवधि मदें:				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	0.65		(0.61)	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	0.71		-	
विविध	0.22		0.01	
		1.58		(0.60)
व्यय:				
कार्य व्यय	1.75		1.11	
प्रशासनिक व्यय	0.01		-	
मूल्यह्रास	1.27		-	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	0.22			
दरें व कर	-		5.44	
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	3.15		4.01	
अन्य	0.13		0.07	
		6.53		10.63
कुल		(4.95)		(11.23)

29. प्रासंगिक देयताओं में शामिल हैं :

क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 597.21 करोड़ रूपए (622.19 करोड़ रूपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 265.48 करोड़ रूपए (137.33 करोड़ रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 88.14 करोड़ रूपए (327.12 करोड़ रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 145.29 करोड़ रूपए (175.29 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 23.06 करोड़ रूपए (46.21 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

घ) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रूपए (1.75 करोड़ रूपए) है।

ड़) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और यह अधिकतम 300 करोड़ रुपए (600 करोड़ रुपए के कुल आवधिक ऋण के 50 प्रतिशत) तक होगी।

30. प्रतिबद्धताएं

(क) अंग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 0.51 करोड़ रूपए (1.92 करोड़ रूपए) है।

(ख) सहायक कंपनी (इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चस सर्विसेज लि.) के मामले में 16.44 करोड़ रुपए (34.95 करोड़ रुपए) मूल्य की अनुमानित संविदा राशि को पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाना है।

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं

निधि अंशदानकर्ता/संयुक्त उद्यम/सहयोगीयों को प्रतिबद्धता:

क. 2.60 करोड़ रुपए (शून्य)(26% प्रत्येक) की इक्विटी के प्रति छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड को।

अत्यधिक विवरण से बचने के लिए व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रुप में विक्रय/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं का प्रकट नहीं किया गया है।

31. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. क. **विदेशी मुद्रा में आय :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	1978.03	1843.27
बैंक ब्याज	6.11	5.94
अन्य ब्याज	0.15	0.42
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	13.09	-
अन्य	2.91	12.82
कुल	**2000.29**	**1862.44**

ख. **विदेशी मुद्रा में व्यय :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
प्रचालन व्यय	**961.85**	1181.39
परामर्शदात्री प्रभार	**48.96**	66.13
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	**-**	15.95
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**101.73**	155.22
कुल	**1112.54**	1418.69

ग. **आयातों का सीआईएफ मूल्य :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
पूंजीगत माल	**55.74**	21.44
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**-**	-
कुल	**55.74**	21.44

घ. **प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2011-12	
	राशि	**प्रतिशत**	**राशि**	**प्रतिशत**
आयातित	**55.74**	**13.21%**	21.44	4.76%
स्वदेशी	**366.12**	**86.79%**	428.75	95.24%
कुल	**421.86**	**100%**	**450.19**	**100%**

33. पट्टे संबधित प्रकटन:

1. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी ने 31.03.2013 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	25.20 (25.49)	0.26 (शून्य)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2013 को	31.03.2013 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**26.79**	24.82
संचित मूल्यह्रास	**25.45**	23.58

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2010-12
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**1.87**	**14.76**

2. **हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा**

कम्पनी ने तीन (चार) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए है। यह करार 09.04.2013 को समाप्त हो गया है। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (0.04)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

3. **परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे**

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों , गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरो के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नही किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 5.55 करोड़ रुपए (5.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान करोड़ रुपए 4.59 (4.43 करोड़ रुपए) को नोट 24 में दर्शाया गया है।

34. **खण्ड रिपोर्टिंग :**

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
क. आवर्त्त								
प्रचालन से राजस्व	**1974.63**	1849.76	**2246.47**	1749.51	**0.91**	2.14	**4222.01**	3601.41
अन्य आय	**20.09**	15.17	**17.10**	14.94	**204.65**	150.40	**241.84**	180.51
अंत खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**1994.72**	1864.93	**2263.57**	1764.45	**205.56**	152.54	**4463.85**	3781.92
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**862.38**	603.73	**111.16**	191.74	**178.26**	112.65	**1151.80**	908.12

घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**106.25**	112.93	**(7.79)**	80.18	**3.49**	56.03	**101.95**	249.14
मूल्यह्रास	**33.62**	42.90	**7.80**	10.50	**1.55**	3.44	**42.97**	56.84
ब्याज	**-**	-	**-**	-	**0.08**	-	**0.08**	-
कर पूर्व लाभ	**722.51**	447.90	**111.15**	101.06	**173.14**	53.18	**1006.80**	602.14
कर व्यय	**35.76**	44.72	**94.77**	54.90	**155.08**	32.60	**285.61**	132.22
कर पश्चात् लाभ	**686.75**	403.18	**16.38**	46.16	**18.06**	20.58	**721.19**	469.92
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2516.64**	2131.79	**1804.15**	1607.92	**2015.53**	1788.92	**6336.32**	5528.63
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**71.11**	75.33	**94.89**	38.24	**82.04**	82.54	**248.04**	196.11
देयताएं	**1818.61**	1756.02	**1714.40**	1564.00	**510.23**	465.67	**4043.24**	3785.69
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	**28.42**	13.62	**0.44**	0.37	**2.49**	0.55	**31.35**	14.54

*अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बढ़ोतरी	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
निर्माण आदि	**4186.00**	3569.29	**6300.32**	5516.11	**29.30**	14.36
पटटा प्रचालन	**36.01**	32.12	**36.00**	12.52	**2.05**	0.18
जोड़	**4222.01**	**3601.41**	**6336.32**	**5528.63**	**31.35**	**14.54**

35. संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	**संयुक्त उद्यम का नाम**	**भागीदार व उनका मूल राष्ट्र**	**31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)**	
			2013	2012
1	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
2	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

(ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2013	2012
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	49.00 51.00	49.00 51.00
2	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	49.00 51.00	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	61.22 34.35 4.43	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	24.21 75.79	24.21 75.79
5	एसएमजे-इरकॉन	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	25.00 75.00	25.00 75.00
6	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	55.00 45.00	55.00 45.00
7	इंटरनेशनल मेट्रा सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
9	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	55.70 44.30	55.70 44.30

ख) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का प्रतिशत	
			31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	25.00 26.00 49.00	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज लि. भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	इरकॉन, भारत आरएलडीए, भारत	51.00 49.00	- -
4	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ राज्य सरकार	26.00 64.00 10.00	- -
5	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ राज्य सरकार	26.00 64.00 10.00	- - -

ग) **संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		इरकॉन-एसपीएससीपीएल		कुल	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
1	आय	-	0.24	0.82	1.76	0.01	-	0.64	0.27	11.49	21.16	12.96	23.44
2	व्यय	-	0.24	0.39	0.80	0.13	0.02	(0.15)	(0.23)	11.22	20.14	11.59	20.97
3	स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01
4	चालू परिसंपत्तियां	-	6.98	5.59	9.22	4.47	5.01	7.92	7.73	6.55	5.85	24.53	34.79
5	चालू देयताएं	-	3.22	(3.88)	-	1.46	1.52	2.79	3.64	6.87	5.39	7.24	13.78
6	ऋण निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

घ) संयुक्त उद्यमों में कंपनी के अपनुपातिक शेय के प्रति आकस्मिक दयेताएं:

(i) आईएमसीसी के मामले में इंडैनिटी बांड **1.24 करोड़ रूपए** (1.24 करोड़ रूपए)

(ii) आईएमसा सी के मामले में बिक्री कर देयता **4.25 करोड़ रूपए** (4.25 करोड़ रूपए) है और सेवा कर **1.01 करोड़ रूपए** (1.01 करोड़ रुपए) है।

(iii) एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी **शून्य रूपए** (0.59 करोड़ रुपए) है।

(iv) एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी **1.54 करोड़ रुपए** (1.54 करोड़ रुपए) है ।

(v) इरकॉन- आरसीएस-पीपिलडेरर के मामले में बैंक गारंटी **0.91 करोड़ रुपए** (0.91 करोड़ रुपए) है।

(vi) आईआईएमएम(संयुक्त उद्यम) के मामले में आय कर देयता **5.29 करोड़ रुपए** (5.29 करोड़ रुपए) है तथा एमटीजी के मामले में **0.40 करोड़ रुपए** (0.40 करोड़ रुपए)।

(vii) 31.03.2013 को मैसर्स इंजीनियर्स द्वारा आईएसटीपीएल के प्रति वसूली मामला **0.02 करोड़** (0.02 करोड़)

(viii) आईएमसीसी के लिए **0.07 करोड़ रुपए** (शून्य) के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान के प्रति कंपनी केशेयर के प्रति आकस्मिक देयता।

36. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

निदेशकगण : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग, दीपक सबलोक तथा हितेश खन्ना

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2012-13	2011-12	31-3-2013 को	31-3-2012 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिको को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख') तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-37 के अनुसार		0.44	0.04
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल में निवेश	शून्य	शून्य	69.40	69.40
सीसाएफबी/आईएसटीपीएल को ऋण	(4.42)	(10)	88.82	93.24
सीसाएफबी/आईआईएसएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	1.61	(1.73)	3.23	2.22
रिकॉन को देय राशि	(6.62)	0.19	10.91	17.53
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ से आय	2.62	38.51	16.70	16.71

ग. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निदेशकों के संबंध में प्रकटन:

क्र.सं	विवरण	2012-13		2011-12	
		इराकॅन आईएसएल	आईआरएसडीसी	इराकॅन आईएसएल	आईआरएसडीसी
1	पूंजी	40.00	20.00	4.90	-
2	आरक्षित निधियां	4.53	(1.07)	2.61	-
3	कुल परिसंपत्तियां	99.87	19.96	72.21	-
4	कुल देयताएं	55.34	1.03	64.70	-
5	निवेश	-	-	-	-
6	टर्नओवर	12.82	0.86	6.14	-
7	करपूर्व लाभ	2.79	(1.07)	3.81	-
8	कर के लिए प्रावधान	0.88	-	1.26	-
9	कर पश्चात लाभ	1.91	(1.07)	2.56	-
10	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-

37. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :- (₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1.	वेतन और भत्ते	**1.94**	1.06
2.	भविष्य निधि पर अंशदान	**0.08**	0.07
3.	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.03**	0.01
4.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.03**	0.01
5.	बैठक फीस	**0.03**	0.02
6.	अन्य हित लाभ	**0.22**	0.17
	जोड़	**2.33**	**1.34**

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेश अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लागे का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ़ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।.

40 क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईराक में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

ख) आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 0.89 करोड़ रुपए (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 31.802 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 15.04 करोड़ रुपए के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ग) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रुपए) पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2013 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां 16.23 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 13.25 करोड़ रूपए तक अधिक), दीर्घकालीन प्रावधान 7.67 करोड़ रुपए

(पिछले वर्ष 6.27 रुपए तक अधिक) तथा कर पूर्व लाभ 8.56 करोड़ रुपए (चालू वर्ष पर प्रभाव 1.58 करोड़ रुपए और पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 6.98 करोड़ रुपए) (पूववर्ती वर्ष 6.98 करोड़ रुपए अधिक था) होता।

41. (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजाम्बिक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसने 1.25 एमएन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12))का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है- 93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण त्था अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग)में दर्शाया गया है)) जिसके प्रति 28.02.2013 को सीसीएफबी से 1 मिलियन अमरीकी डालर (4.42 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई है और इस प्रकार 88.82 करोड़ रुपए (93.24 करोड़ रुपए) को दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (नोट 14(बी) तथा (सी) और 0.19 (0.19)) को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट 15 (सी) में दर्शाया गया है)। वर्ष के दौरान 1.08 करोड़ रुपए की विनिमय दर को पहचाना गया है जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 से संबंधित 0.65 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि, परियोजना पूरा हो गया था, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।

(ख) सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध है तथा गैरकानूनी हैं और उसने मोजाम्बिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण, विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 35.57 करोड़ रुपए (42.13 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (34.20 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति 3.21 करोड़ रुपए और संभावित हानि के भाग के प्रति 2.94 करोड़ रुपए (0.81 करोड़ रुपए) (नोट 12, 14 तथा 15 का संदर्भ लें) की समाप्ति के पश्चात ब्याज में कमी के कारण इक्विटी निवेश के प्रति 5.53 करोड़ रुपए (5.53 करोड़ रुपए)(नोट 12 का संदर्भ लें)) का प्रावधान किया गया है। देय ब्याज सहित ऋण की राशि को 31.03.2011 की प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लेखित कारणों से वर्ष के लिए 4.28 करोड़ रुपए (3.38 करोड़ रुपए), संचयी 7.66 करोड़ रुपए (3.38 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2013 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 13.10 करोड़ रुपए (8.33 करोड़ रुपए)अधिक होते और कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 4.46 करोड़ रुपउ तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 8.64 करोड़ रुपए)।

यदि नोट सं. 40 तथा 41 को सचित प्रभाव प्रदान किया होता तो दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 406.16 करोड़ रुपउ (325.67 करोड़ रुपए) होते, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 98.39 करोड़ रुपए (94.81 करोड़ रुपए) होती, दीर्घकालीन प्रावधान 427.77 करोड़ रुपए (422.01 करोड़ रुपए) होते और कर पूर्व लाभ 1036.39 करोड़ रुपए (617.45 करोड़ रुपए) होता।

42. कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801-ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (अपील) द्वारा नामंजूरी नहीं दी गई गया है। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया जा रहा है1 आकलन वर्ष 2012-2013 तक कटौती 700.53 करोड़ रुपए (580.29 करोड़ रुपए) है। यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

43. इरकॉन को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकल वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 के लिए भी आकलन पूरा कर लिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 (आकलन वर्ष 2013-14) के दौरान कंपनी ने आकलन वर्ष 2006-07 से कर के लिए प्रावधान के अनुमान की अपनो पद्धति को बदल दिया है। तदनुसार, चालू आकलन वर्श 2013-14 (वित्त वर्ष 2012-13) और आकलन वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान के विषय के रुप में विदेशों में भुगतान किए गए कर को ऋण के रुप में पुन:परिकलित किया गया है।

कर निर्धारण की विधि में परिवर्तन के कारण कर के लिए अतिरिक्त (वृद्धि) के कारण, पूर्ववर्ती वर्षों यथा आकलन वर्ष 2006-07 से आकलन वर्ष 2012-13 तक के लिए निर्धारित किया गया है और 108.48 करोड़ रुपए की राशि के लिए बहियों में प्रावधान किया गया है और आकलन वर्ष 2013-14 के लिए 76.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई विधि के अनुसार आस्थिगित कर का आकलन किया गया है और बहियों में 76.60 करोड़ रुपए का प्रावधन किया गया है।

44. **एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ**

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेंगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 1.79 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) का योगदान किया है। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट के पास 31.03.2013 को 30.57 करोड़ रुपए (26.32 करोड़ रुपए) की संयुक्त निधि है। कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 9.36 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, वहा बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.01)	1.57 (1.45)
ब्याज लागत	3.72 (3.34)	4.17 (4.05)	0.12 (0.11)
चालू सेवा लागत	2.90 (2.72)	5.09 (3.94)	0.07 (0.08)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(3.51) ((2.05))	(3.56) ((1.21))	(0.00) (0.01)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 ((5.18))	(0.34) ((0.06))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- (-)	- (-)	- (-)

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(1.13) ((1.01))	(0.04) ((5.18))	0.35 (0.06)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 (5.18)	(0.35) ((0.06))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	1.13 (1.01)	0.04 (5.18)	(0.35) ((0.06))

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	- ((-))	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))

vi) लाभ हानि का विवरण में मान्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
चालू सेवा लागत	2.89 (2.71)	5.09 (3.94)	0.07 (0.08)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	3.72 (3.34)	4.17 (4.05)	0.12 (0.11)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	1.13 (1.01)	0.04 ((5.18))	(0.35) ((0.06))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	7.75 (7.07)	9.29 (2.81)	(0.16) (0.13)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	1.42 (1.57)
योजना परिसम्पतियां	- (-)	- (-)	- (-)
सरप्लस(डैफिसेट)	(53.87) ((49.63))	(61.34) ((55.61))	(1.42) ((1.57))
योजना देयतओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(1.13) ((1.01)	(0.04) (5.18)	0.35 (0.06)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	प्रतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	13.58 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	13.58 वर्ष

45. प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

क्र.सं	विवरण	31.3.13 तक	31.3.12 तक
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटा: निर्धारित हानियां)	16716.79	13143.81
		31.03.13 को	**31.03.12 को**
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	1141.93	1391.36
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	144.33	124.29

* 31.3.2013 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।

46. परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक लागत के 75% सहित इरकान इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के रुप में 68.29 करोड़ रुपए (55.96 करोड़ रुपए) की राशि का पूंजीकरण किया गया है।

47. (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2013 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्यौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2013 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्यौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

48. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 721.70 करोड़ रुपए (469.92 करोड़ रुपए) को 14,434,583 (9,898,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

49. कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुनः समूहित, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002263एन

सीए वाई के गुप्ता	**ललिता गुप्ता**	**के.के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक/वित	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
स.सं.16020	व.म.प्र (विधि)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2013

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग,
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")तथा इसकी सहायक कंपनियों, मैसर्स भारतीय रेलव स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (आईआईएसएल)के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 211 की उपधारा (3सी) के संदर्भ में लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह का वास्तविक एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी हो या त्रुटि के कारण हो।

3. **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। हमने भारतीय सदनी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निषादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों का प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं ताकि उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाईन तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुरुप उपयुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. **योग्य मत के लिए आधार**

(i) कंपनी वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2013 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां 16.23 करोड़ रुपए तक कम, दीर्घकालीन प्रावधान 7.67 करोड़ रुपए तक कम तथा कर पूर्व लाभ 8.56 करोड़ रुपए (चालू वर्ष में 1.58 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 6.98 करोड़ रुपए)तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 40 का संदर्भ लें)।

(ii) कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी सीसीएफबी से शेयरधारक ऋण और उसपर ब्याज के 31.03.2011 को प्रचलित विनिमय दर पर शेषों विद्यमान हैं और इसे 31.03.2012 को विद्यमान दरों पर अंतरित न करना लेखांकन अनुसूची-11 के अनुरुप नहीं है। इसके परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 13.10 करोड़ रुपए कम हुए हैं ओर कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए कम हुआ है। (चालू वर्ष में 4.46 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 8.64 करोड़ रुपए)तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 41 का संदर्भ लें)।

(iii) यदि उपर्युक्त (i) तथा (ii) का प्रभाव संचयी होता तो दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 372.24 करोड़ रुपए, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 98.41 करोड़ रुपए, दीर्घकालीन आवधिक प्रावधान 427.77 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ 1028.46 करोड़ रुपए होता।

5. योग्य मद

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पद अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत् स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वस्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

1) 31 मार्च, 2013 को कंपन के कार्यकलापों के समेकित तुलनपत्र के मामले में,

2) इस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में,

3) इस तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह हेतु समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

6. अन्य मुद्दे

हमने दो सहायक कंपनियों, मैसर्स भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि 31 मार्च, 2013 को कुल परिसंपत्तियां (निवल) 119.83 करोड़ रुपए की हैं तथा इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कुल राजस्व 13.68 करोड़ रुपए है तथा निवल रोकड़ प्रवाह 22.36 करोड़ रुपए है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में रिपोर्ट में दर्शाई गई राशियां संबंधित विषयों सहित पूर्ण रुप से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मुद्दे पर हमारा मत मान्य नहीं है।

कृते **वाही एंड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता स. 16020

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26.07.2013

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत
टेली.: 91–11–29565666 फैक्सः 91–11–26522000, 26854000 ई–मेलः info@ircon.org वेबसाइटः www.ircon.org